राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 2 बारहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का तेरहवां दिवस संख्या : 3

सोमवार;

12 जुलाई, 2004

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

सूचना

अलवर में दिनांक 9 जुलाई 2004 को हुई घटना से उत्पन स्थिति

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 9.7.04 को एक छोटी-सी घटना से शुरूआत हुई और आज अलवर जल रहा है। महोदया निवेदन यह करना चाहूंगा कि एक मामूली एक्सीडेंट हुआ जिसमें दो मोटर साइकिल टकराईं। जो आसपास के व्यापारी और दुकानदार थे उन दुकानदारों ने बीच-बचाव किया...

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : इसका तो बहुत सारा समय है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अब ये रोज घटनाएं होती हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या आपने बोलने की अनुमति प्रदान कर दी ? ये कौनसे नियमों में बोल रहे हैं ? आज बजट का प्रस्तुतिकरण है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले बजट प्रस्तुत होना चाहिए, यह परम्परा रही है सदन की। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, स्थान ग्रहण करें । माननीय सदस्य, आपने जो चिंता व्यक्त की है उसके बारे में.....

श्री जितेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, आर.ए.सी. के लोग अपनी वर्दी के अन्दर चैन लेकर... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप आसन की सुनेंगे ? (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : आर.ए.सी. के लोगों ने लाठियां लेकर के इनके निर्वाचन क्षेत्र में वहां लोगों को पीटा, उनकी दुकानें तोड़ दी।

श्री अध्यक्ष : मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, मैं आपकी चिन्ता को समझती हूं।(व्यवधान) आप सुनिये, आप मुझे भी सुनिये।

श्री जितेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी मांग है कि सरकार इसके ऊपर स्टेटमेंट दें।(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप मुझे सुनिये। आपने जो चिन्ता व्यक्त की है उस बारे में एक तो बजट अभी रखा जाना है, ऐसी परम्परा नहीं रही है कि उससे पहले कुछ ऐसा आप प्रश्न उठायें। (व्यवधान) आप बात तो सुनेंगे पूरी ? मुझे सेंटेंस कम्पलीट नहीं करने देंगे आप ? आप सेंटेंस कम्पलीट नहीं करने देंगे ? आप मुझे अपना सेंटेंस भी पूरा नहीं करने देंगे क्या ? मैं यह कह रही हूं कि आपकी चिन्ता को देखते हुए माननीय गृह मंत्रीजी से मेरी बात हो चुकी है, वो कल इस बारे में अपना वक्तव्य दे देंगे। माननीय मुख्य मंत्रीजी, बजट पेश करेंगे। (व्यवधान) अब आपको क्या हो गया ? आपका क्या रहा गया ? आपको क्या हुआ ? (व्यवधान)

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बैक-लॉग पूरा करावें। एस.सी., एस.टी. का जोन ऑफ कंसीडरेशन... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने बजट पेश करने के लिए मुख्य मंत्रीजी का नाम लिया है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मुरारी लाल मीणा : 70 हजार पद एस.सी., एस.टी. के रिक्त पड़े हैं न तो कांग्रेस वालों ने सुनी... (व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा (करौली) : यदि कोई सदस्य एस.सी., एस.टी. के खिलाफ हो तो हमसे खड़े होकर बात करे।(व्यवधान)

श्री मुरारी लाल मीणा : 70 हजार पद खाली पड़े हैं। पहले कांग्रेस गवर्नमेंट में भी पद बकाया थे और अब भी माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सदन काफी समय तक चलेगा, आपको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा लेकिन यह व्यवहार इस समय अनुचित है।

श्री मुरारी लाल मीणा : जब इनको आश्वासन दे सकते हैं तो हमको भी आश्वासन दो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मुझे आप बाध्य न करें। मुझे बाध्य न करें आप।

श्री मुरारी लाल मीणा : 70 हजार पद हैं एस.सी., एस.टी. के मेरे पास डिटेल है।(व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी बात पर माननीय मुख्य मंत्रीजी थोड़ा आश्वासन दें हमें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कह दिया, आप स्थान ग्रहण करें। कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) माननीय मुख्य मंत्रीजी, बजट पेश करेंगी।

परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2004-05 का उपस्थापन

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री) : अनुमति से मैं वर्ष 2004-2005 के परिवर्तित आय व्ययक अनुमान प्रस्तुत कर रही हूं। 7 माह पहले...

माननीय अध्यक्ष महोदया,

आपकी अनुमति से मैं वर्ष 2004-05 के परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान प्रस्तुत कर रही हूं।

2. सात माह पहले राज्य की जनता ने हमें सेवा करने का जनादेश दिया था और आज जब मैं अपनी सरकार का पहला बजट प्रस्तुत करने सदन में खड़ी हूं तो अपनी सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर संतोष व्यक्त करना चाहती हूं और चुनौतिपूर्ण दायित्वों के प्रति उत्साहित भी हूं।

3. विगत सात माह में एक से अधिक मानदंडों पर राजस्थान में उल्लेखनीय कार्य हुआ है। प्रत्येक वर्ग की परेशानी को समझते हुए हमारी सरकार ने अनेक साहस भरे निर्णय लिये तथा इसी क्रम में 100 दिन की कार्य योजना बनाकर उसकी क्रियान्विति की। किसानों को विशेष सुविधाएं प्रदान करते हुए अकाल के पश्चात सम्भलने के लिए सहारा दिया। मुझे हर्ष है कि 100 दिन की कार्य योजना में हमारी उपलब्धियां बुनियादी स्तर पर कार्य करने वाले राज्य कर्मचारियों से लेकर शासन में मेरे सहयोगियों के एक टीम के रूप में कार्य करने से सम्भव हुई। राजस्थान के लोगों ने परिणामों को मात्र घोषणा या खोखले वायदों के रूप में नहीं मानकर एक यथार्थ के रूप में आंका। जब हमने कहा कि हमारे बच्चों के विद्यालयों में हैंडपम्प लगवाये जायेंगे तो वास्तव में लगाये गये। जब हमने कहा कि रिकार्ड गांव सड़को से जोड़े जायेंगे तो वास्तव में 986 गांवों को 100 दिनों के सीमित समय में सड़कों से जोड़ा गया। जब हमने कहा कि गांवों में प्रतिदिन 14 घंटे विद्युत की आपूर्ति की जायेगी तो वास्तव में हमने 14 से 16 घंटे तक बिजली उपलब्ध कराई।

4. लोकसभा चुनाव के परिणाम इंगित करते हैं कि राजस्थान के लोग हमारी सरकार के कार्य और अनुभव से संतुष्ट हैं। हम आश्वस्त हैं कि लोगों ने हमसे जो अपेक्षा एवं आकांक्षा की थी तथा सरकार से जो चाहा था, उस पर हम खरे उतरे हैं।

5. योजना आयोग ने राज्य सरकार की दसवीं पंचवर्षीय योजना का आकार प्रचलित कीमतों पर 31 हजार 831 करोड़ 75 लाख रुपये निर्धारित

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

किया था। दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष 2002-03 में यद्यपि योजना का आकार 5 हजार 160 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था परन्तु वास्तविक व्यय 4 हजार 431 करोड़ 7 लाख रुपये हुआ।

6. वर्ष 2003-04 के लिये भी राज्य की वार्षिक योजना का आकार मात्र 4 हजार 258 करोड़ रुपये का निश्चित किया गया था जिसके विरूद्ध माह नवम्बर 2003 तक लगभग 2 हजार 266 करोड़ 54 लाख रुपये ही व्यय किये जा सके थे। इससे स्पष्ट था कि यदि योजना के आकार में समुचित बढ़ोतरी नहीं की जाती एवं इसके लिये आवश्यक संसाधन नहीं जुटाये जाते तो दसवीं पंचवर्षीय योजना के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन हो जाता।

7. शासन की बागडोर सम्भालने के साथ ही हमने राज्य की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करते हुए यह तय पाया कि यदि एक निश्चित कार्यक्रम के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित करते हुए प्रयास किये जायें तो संसाधन जुटा कर योजनागत व्यय को बढ़ाया जा सकता है। हमने विभिन्न स्तरों पर प्रयास कर राज्य की वार्षिक योजना 2003-04 के आकार को बढ़वाकर 5 हजार 504 करोड़ 52 लाख रुपये पुन: निर्धारित करवाया। वार्षिक योजना के आकार में बढ़ोतरी के समय यह शंका भी प्रकट की गई थी कि क्या राज्य इस आकार की योजना को वित्त पोषित कर पायेगा तथा योजना के आकार के अनुरूप व्यय करने में सक्षम हो सकेगा ? मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगी कि वर्ष 2003-04 में नवीनतम अनुमानों के अनुसार 6 हजार44 करोड़ 38 लाख रुपये का व्यय हुआ है जो पूर्व में योजना आयोग द्वारा अनुमोदित योजना के आकार से 1 हजार 786 करोड़38 लाख रुपये अधिक है। यह उपलब्धि मुख्य रूप से 100 दिवसीय कार्य योजना लागू करने से सम्भव हो सकी। यह हर्ष का विषय है कि योजनान्तर्गत व्यय वर्ष 2002-03 से 36.41 प्रतिशत अधिक है। हमें विश्वास है कि हमारी यह प्रारम्भिक उपलब्धि आगामी वर्षों के लिये भी दिशा निर्धारित करेगी। दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम 2 वर्षों 2002-03 व 2003-04 में योजनागत व्यय 10 हजार 475 करोड़ 45 लाख रुपये हुआ है जो निर्धारित पंचवर्षीय योजना का 32.9 प्रतिशत है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु शेष 3 वर्षों में 21 हजार 356 करोड़ 30 लाख रुपये का व्यय करना होगा।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

8. इस वर्ष के लिये लेखानुदान के प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय मैंने यह कहा था कि योजना आयोग से विचार-विमर्श होने के उपरांत एवं हमारी प्राथमिकताओं और जन-आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2004-05 के परिवर्तित बजट अनुमान प्रस्तुत करते समय हम योजना के आकार एवं विभिन्न मदों में प्रस्तावित प्रावधानों को अंतिम रूप दे पायेंगे। योजना आयोग से विमर्श होना अभी सम्भव नहीं हुआ है। पूर्व में हमने 6 हजार 492 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना प्रस्तावित की थी। संतुलित विकास की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए तथा लक्षित वृद्धि दर प्राप्त करने हेतु हमने योजना आकार को बढ़ाकर 7 हजार 31 करोड़ 44 लाख रुपये किया जाना प्रस्तावित किया है। गत वर्ष की वार्षिक योजना के संशोधित आकार की तुलना में योजना का आकार 1 हजार 527 करोड़ रुपये अधिक है। इसी पैमाने पर आगामी दो वर्षों में योजनागत व्यय होने पर दसवीं योजना के लक्ष्य से भी अधिक व्यय सम्भव हो सकेगा। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि माननीय सदस्यों के सहयोग से राज्य की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप इस वर्ष की वार्षिक योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। वार्षिक योजना के अंतर्गत प्रमुख मदों में प्रस्तावित प्रावधान इस प्रकार है:-

1.	कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएं	142 करोड़ 23 लाख रुपये
2.	ग्रामीण विकास	491 करोड़ 15 लाख रुपये
3.	विशिष्ट क्षेत्रीय कार्यक्रम	32 करोड़ 94 लाख रुपये
4.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	925 करोड़ 61 लाख रुपये
5.	विद्युत	2169 करोड़ 19 लाख रुपये
6.	उद्योग एवं खनिज	82 करोड़ 78 लाख
7.	परिवहन	470 करोड़ 69 लाख रुपये
8.	प्रौद्योगिकी सेवाएं एवं अनुसंधान	1 करोड़ 2 लाख रुपये
9.	सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं	2410 करोड़ 77 लाख रुपये
10.	आर्थिक सेवाएं	261 करोड़ 6 लाख रुपये
11.	सामान्य सेवाएं	44 करोड़ रुपये
	योग	7031 करोड़ 44 लाख रुपये

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

9. माननीय सदस्य इस बात से परिचित हैं कि केन्द्र से राज्यों को होने वाले वित्तीय अंतरणों एवं राज्यों में वित्तीय सुधारों के संदर्भ में बारहवां वित्त आयोग वर्तमान में विचार कर रहा है। इस आयोग को वर्ष 2005 से 2010 की अवधि के लिये अपना अवार्ड देना है। राज्य की गम्भीर वित्तीय स्थिति का प्रमुख कारण राज्य पर ऋण भार और ब्याज भुगतान का दायित्व है। मैंने आयोग के अध्यक्ष डा. सी. रंगराजन से मिलकर उन्हें राज्य की वित्तीय स्थिति से अवगत कराया है तथा राज्य के ऋण भार को कम करने के विभिन्न प्रस्तावों को अनुपूरक ज्ञापन के माध्यम से वित्त आयोग को प्रस्तुत किया है।

10. अत्यन्त प्रसन्नता का विषय है कि राज्य में कच्चे तेल और गैस के विपुल भण्डार मिले हैं। वर्तमान व्यवस्था में राज्य को इससे केवल रॉयल्टी व बिक्री कर की राशि ही प्राप्त होगी जो हमारी दृष्टि से पर्याप्त नहीं है क्योंकि तेल और गैस के ये भण्डार नॉन-रिंयूअबल (non-renewable) व एग्जॉस्टिबल (exhaustible) हैं। इनके दोहन से केन्द्र सरकार को होने वाले ''प्रोफिट पेट्रोलियम'' में से 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार को उपलब्ध कराने हेतु मैंने वित्त आयोग से विशेष आग्रह किया है।

11. वर्ष 2003-04 से पूर्व के पांच वर्षों में राज्य में सकल घरेलू उत्पाद की औसत वृद्धि दर प्रचलित कीमतों पर 6.11 प्रतिशत एवं स्थिर कीमतों पर 1.35 प्रतिशत रहीं। वर्ष 2003-04 में पिछले वर्ष की तुलना में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में प्रचलित कीमतों पर 17.27 प्रतिशत तथा स्थिर कीमतों पर 14.71 प्रतिशत वृद्धि हुई है। वर्ष 2003-04 में राज्य में प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पर 14 हजार 748 रुपये एवं स्थिर कीमतों पर 8 हजार 571 रुपये अनुमानित हैं। पूर्व वर्ष की तुलना में प्रति व्यक्ति आय में प्रचलित कीमतों पर वृद्धि 15.64 प्रतिशत व स्थिर कीमतों पर वृद्धि 12.66 प्रतिशत रही है। हम आशा करते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का यह क्रम यथावत रहेगा तथा हम दसवीं पंचवर्षीय योजना में लक्षित वृद्धि दर हासिल करने में सफल होंगे

विकास हेतु प्राथमिकताएं

12. मेरी यह परिकल्पना है कि राजस्थान समग्र रूप से विकसित राज्य बने। जनसाधारण की अपेक्षाओं कों सुलभता से पूर्ण कर जन-विश्वास का

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

पुनर्स्थापन हमारी योजनाओं तथा शासन प्रणाली का प्रमुख अंग होगा जिससे नीति और क्रियान्विति के बीच की दूरी को कम किया जा सके। इसको मूर्तरूप देने की दृष्टि से हमने शासन की बागडोर सम्भालते समय विभिन्न विकल्पों पर विचार कर पांच वर्ष के विकास की रूपरेखा तैयार की जो हमारे ''विजन डॉक्यूमेंट'' में परिलक्षित होती है। इसके अंतर्गत हमने राज्य के विकास की दिशा निर्धारित करने की दृष्टि से छः प्राथमिकताओं को चिन्हित किया है और हमारे बजट प्रस्ताव भी इन्हीं प्राथमिकताओं के अनुरूप है :-

1. दरिद्रता, कुपोषण और भूख से मुक्ति;
2. अशक्त और महिलाओं को सम्बल;
3. मानव संसाधन विकास सामाजिक आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि;
4. रोजगार सृजन तथा प्राकृतिक व सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण;
5. अच्छा शासन एवं राजकोषीय सुधार; तथा
6. आर्थिक आधारभूत सुविधाओं का विकास।

दरिद्रता, कुपोषण और भूख से मुक्ति

13. हमारा मानना है कि भूख और कुपोषण से मुक्त जीवन प्रत्येक व्यक्ति का बुनियादी मानव अधिकार है। माने हुए कृषि अर्थशास्त्री प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन ने इस अवधारणा को प्रभावी रूप से इस प्रकार कहा है :-

''हम अपने इतिहास के एक ऐसे अनोखे मोड़ पर हैं जहां भोजन के अधिकार की अवधारणा विश्लेषण से वास्तविकता में बदल सकती है। यह सब इसलिये सम्भव है क्योंकि केन्द्र सरकार के पास अनाज के प्रचुर भण्डार हैं''

14. वर्तमान में अधिकांश खाद्यान्न सहायता योजनाएं केन्द्र प्रवर्तित हैं जिनमें किसी प्रकार का परिवर्तन राज्य सरकार के दायरे से बाहर है फिर भी हमने अपने सीमित साधनों के बावजूद प्रदेश के असहाय व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा देने के लिये जीवन चक्र पद्धति (Life Cycle Apporach) के अंतर्गत एक समेकित कार्ययोजना तैयार की है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

15. राज्य में शिशु मृत्यु दर 78 प्रति एक हजार जन्म है जो राष्ट्रीय शिशु मृत्यु दर की तुलना में बहुत अधिक है। शिशु मृत्यु दर अधिक होने का एक बड़ा कारण कुपोषण है। आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से पोषण स्तर में सुधार के लिए 35.82 लाख बच्चों, गर्भवती स्त्रियों, धात्री माताओं एवं किशोरी बालिकाओं को नियमित रूप से पूरक पोषाहार वितरित किया जायेगा जिसके लिये इस वर्ष 118 करोड़ 6 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। आंगनबाड़ी क्षेत्र के 6 वर्ष की आयु तक के चिह्नित अति-कुपोषित बच्चों को स्वास्थ्य तथा पोषण सहायक सेवाएं प्रदान कर सामान्य स्थिति में लाया जायेगा। टीकाकरण तथा विटामिन 'ए' का कवरेज बढ़ाया जायेगा तथा प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर स्वास्थ्य एवं पोषण बढ़ाया दिवस का नियमित आयोजन किया जायेगा। आंगनबाड़ी केन्द्रों की सेवाओं के उन्नयन के लिय एक हजार आंगनबाड़ी केन्द्रों को आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्रों के रूप में विकसित किया जायेगा। स्वास्थ्य एवं पोषण सहायक सेवाएं उपलबध कराने के लिये आंगनबाड़ी केन्द्रों पर सहयोगिनी के रूप में एक अतिरिक्त महिला का नियोजन किया जायेगा। इस वर्ष 26 हजार 521 सहयोगिनियों को नियोजित किया जायेगा।

16. प्रदेश के जनजाति बाहुल्य जिलों में से 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों में से औसतन 50 प्रतिशत बच्चे सूक्ष्म पोषक तत्वों (Micro Nutrients) की कमी से ग्रसित हैं। इन्हें अतिरिक्त सूक्ष्म पोषक तत्व उपलब्ध कराये जाने के लिये राज्य सरकार द्वारा एक सघन अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। इस पर 2 करोड़ 68 लाख रुपये व्यय होना अनुमानित है।

17. समाज के विभिन्न वर्गों के लिये संचालित खाद्यान्न सहायता योजनाओं में वितरित किये जाने वाले खाद्यान्नों की लक्षित समूहों तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अन्त्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना तथा बी.पी.एल. परिवारों हेतु "राशन टिकट" योजना लागू की जायेगी। इन योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वितों को राशन कार्ड के अतिरिक्त उनकी पात्रता के अनुसार साल भर के "राशन टिकट" अग्रिम दे दिये जायेंगे। राशन खरीदते समय क्रेता द्वारा वांछित मात्रा के टिकिट विक्रेता को दिये जायेंगे। इस व्यवस्था से पात्र परिवारों को खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित किया जा सकेगा।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

18. राज्य के बारां जिले के सहरिया आदिम जाति के परिवारों में भूख और कुपोषण की मार अपेक्षाकृत अधिक है। अंतः राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सहरिया आदिम जाति के समस्त परिवारों को अन्त्योदय अन्न योजना के अनुरूप प्रति परिवार प्रतिमाह 35 किलोग्राम खाद्यान्न 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराया जायेगा। इन परिवारों को सहकारी संस्थाओं के माध्यम से उनके निवास स्थान के नजदीक ही वितरण केन्द्र स्थापित कर अथवा चल वाहनों द्वारा प्रतिमाह राशन उपलब्ध कराया जायेगा। इस योजना पर 2 करोड़ 92 लाख रुपये व्यय होना अनुमानित है।

19. वन विभाग द्वारा जनजाति बाहुल्य जिलों में खाद्य सुरक्षा सुनिसश्चित किये जाने हेतु ''विश्व खाद्य कार्यक्रम'' के अंतर्गत दस रुपये मूल्य के बराबर की 8 लाख खाद्य यूनिट्स मजदूरी के अंश के रूप में वितरित की जायेगी। एक खाद्य यूनिट में 2 किलोग्राम गेहूं एवं 200 ग्राम दाल उपलब्ध कराई जायेगी।

20. राज्य में कोई भी व्यक्ति भुखमरी का शिकार नहीं हो इस दृष्टि से प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच को 10 क्विंटल मात्रा तक के 10-10 किलोग्राम के ''फूड स्टेंप'' उपलबध कराये जायेंगे। प्रत्येक सरपंच को यह अधिकार होगा कि किसी व्यक्ति या परिवार के खाद्यान्न के अत्यन्त अभाव में होने की स्थिति में उन्हें 10 किलोग्राम गेहूं तक के ''फूड स्टेंप'' तात्कालिक सहायता के रूप में जारी कर दें। ऐसा व्यक्ति या परिवार इन ''फूड स्टेंप'' के आधार पर नजदीक की राशन की दुकान से बिना भुगतान किये गेहूं प्राप्त कर सकेगा। इस योजना पर 4 करोड़ 22 लाख रुपये व्यय होना अनुमानित है।

21. राज्य में उपभोक्ता हितों के संवर्द्धन एवं संरक्षण के उद्देश्य से उपभोक्ता कल्याण कोष की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। इस कोष से सूचनाओं के तथा संचार एवं शिक्षा के माध्यम से उपभोक्ताओं में उनके हितों के प्रति जागृति उत्पन्न की जायेगी। उपभोक्ता आंदोलन से युवाओं को जोड़ने के लिए इस शिक्षा सत्र से प्रदेश के 500 राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उपभोक्ता क्लब स्थापित किये जायेंगे।

अशक्त और महिलाओं को सम्बल

22. समाज में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, नि:शक्तजन, अभावग्रस्त समूहों के बच्चे, बुजुर्ग तथा महिलाएं ऐसे वर्ग हैं जिनके कल्याण

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

हेतु विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक है। हमारी सरकार ने दिसम्बर 2003 में कार्य भार सम्भालने के पश्चात इसको ध्यान में रखते हुए इन वर्गों के विकास हेतु गम्भीरता से विचार कर महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं व भावी कार्ययोजना बनाई है। इसी क्रम में चालू वर्ष में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इस वर्ग को सम्बल प्रदान करने के लिये समुचित कदम उठाये जा रहे हैं जिनका मैं उल्लेख करूंगी।

23. राज्य में मातृ मृत्यु दर 677 प्रति 1 लाख जीवित जन्म है जो देश की औसत दर से बहुत अधिक है। मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिये इस वर्ष मातृत्व सेवाओं का विस्तार किया जायेगा। इस हेतु कठिन एवं दुर्गम क्षेत्रों के चुने हुए 200 उप केन्द्रों पर प्रसव गृहों का निर्माण कराया जायेगा। पांच लाख की जनसंख्या पर एक विशिष्ट आपातकालीन प्रसूति चिकित्सा इकाई कुल 50 इकाइयां एवं एक लाख की जनसंख्या पर एक आधारभूत आपातकालीन प्रसूति चिकित्सा इकाई कुल 150 इकाइयां विकसित की जायेंगी हमारे प्रदेश में 74 प्रतिशत प्रसव, घर पर ही सम्पन्न कराये जाते हैं। यह मातृ मृत्यु दर अधिक होने का एक प्रमुख कारण है। सुरक्षित मातृत्व हेतु संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिये इस वर्ष दाई प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ की जायेगी। इसके अतिरिक्त सुरक्षित प्रसव के लिये 10 हजार पारम्परिक दाइयों को भी प्रशिक्षित किया जायेगा।

24. राज्य में महिला साक्षरता दर, जो कि वर्तमान में 44.3 प्रतिशत है, को बढ़ाने के लिये राज्य सरकार द्वारा विशेष प्रयास किये जायेंगे। राज्य के 23 जिलों में जहां महिला साक्षरता दर राज्य की महिला साक्षरता दर से कम है, उनमें 15 से 35 वर्ष की महिलाओं एवं बालिकाओं के लिये 10 हजार से अधिक विशेष महिला शिक्षण शिविरों का आयोजन किया जायेगा। औपचारिक शिक्षा से वंचित 9 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की बालिकाओं के लिये ''जीवन कौशल'' आधारित शिक्षा हेतु 450 आवासीय ''ब्रिज कोर्सेज'' का संचालन किया जाकर 24 हजार बालिकाओं को लाभान्वित किया जायेगा तथा इस पर 3 करोड़ 62 लाख रुपये व्यय होंगे। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देन के लिये शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुये 194 ब्लॉक्स के 2 हजार 174 संकुलों में बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा के लिये औपचारिक व अनौपचारिक विद्यालय खोले जायेंगे।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

25. मुझे सदन को अवगत कराते हुये हर्ष हो रहा है कि सम्पूर्ण देश में राजस्थान उन अग्रणी राज्यों में होगा जहां राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 12 तक की समस्त बालिकाओं को नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराई जायेंगी।

26. महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिये अभी तक राज्य में लगभग 75 हजार स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) का गठन किया गया है। इस वर्ष महिलाओं के 25 हजार नये स्वयं सहायता समूह गठित किये जायेंगे एवं इन समूहों को अधिक से अधिक संख्या में आय सृजन की गतिविधियों से जोड़ा जायेगा। स्वयं सहायता समूहों के क्षमता विकास एवं उनके उत्पादों के विपणन के लिये राज्य स्तरीय स्वयं सहायता समूह संस्थान स्थापित किया जायेगा।

27. कामकाजी महिलाओं हेतु शहरी क्षेत्रों में 13 छात्रावास तथा ग्रामीण महिला कामगारों के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में 500 शिशु पालना गृहों (Creche) की स्थापना की जायेगी।

28. सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये तृतीय श्रेणी अध्यापकों के लिये प्रस्तावित नवीन भर्ती के पदों में से 10 प्रतिशत पद विधवा तथा परित्यक्त महिलाओं के लिये आरक्षित किये जायेंगे।

29. महिला बंदियों के लिये केंद्रीय कारागार जयपुर में परामर्श एवं संदर्भ केन्द्र स्थापित किया जायेगा। केन्द्रीय कारागृहों में महिला बंदियों के बच्चों के लिये महिला वार्डों में शिशु पालना गृह (Creche) विकसित किये जायेंगे। महिला बंदियों तथा उनके बच्चों को साक्षर बनाने व उनके शिक्षा उन्नयन हेतु कार्यक्रम शुरू किये जायेंगे।

30. राज्य में महिलाओं के लिये 10 अल्प आवास गृह, 5 नारी निकेतन एवं 5 अपचारी बालिका गृह खोले जायेंगे।

31. राज्य की कुल जनसंख्या के 1.7 प्रतिशत व्यक्ति नि:शक्त (Physically Challenged) हैं जिनकी विशेष देखभाल की आवश्यकता है। इस वर्ष सरकार द्वारा नि:शक्तों के लिये विशेष पैकेज के अंतर्गत विभिन्न सुविधाएं दी जायेंगी।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

32. राज्य के उन जिला मुख्यालयों पर जहां मूक-बधिर व नेत्रहीन बालकों के लिये कोई शिक्षण संस्था नहीं है, वहां एक विशिष्ट शिक्षण संस्था की स्थापना की जायेगी। इसके अतिरिक्त एक आवासीय नि:शक्तजन शिक्षण संस्थान बनाने की भी योजना है।

33. नि:शक्तजनों को रोजगार उपलब्ध करवाने की दृष्टि से '' विश्वास स्व: रोजगार सहायता योजना'' लागू की जायेगी जिसके अंतर्गत वित्तीय संस्थानों से 40 हजार रुपये तक के ऋण की व्यवस्था कराई जायेगी एवं साथ-साथ 10 हजार रुपये का अनुदान दिया जायेगा। एक और पहल के तहत ऐसे परिवारों में जिनमें 2 या अधिक व्यक्ति शारीरिक रूप से विकलांग हैं, उनकी पहचान की जायेगी तथा उन्हें बी.पी.एल. परिवारों के समान सुविधाएं उपलब्ध करवाई जायेंगी।

34. राज्य में लगभग 40 लाख वृद्धजन हैं। वृद्धजन वर्तमान परिवेश में उपेक्षित महसूस नहीं करें तथा उन्हें समुचित संरक्षण एवं अधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हों, इस दृष्टि से ''वृद्धजन नीति'' बनाई जायेगी तथा सम्बन्धित विभागों को इस नीति के अनुरूप कार्यक्रम बनाने हेतु निर्देशित किया जायेगा। 65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रा करने पर किराये में 30 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

35. राज्य में अनुसूचित जनजाति के विकास के लिये ''महाराष्ट्र पैटर्न'' योजना लागू है। गत वर्ष इस पेटे 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था जिसे बढ़ाकर इस वर्ष 30 करोड़ रुपयों का प्रावधान प्रस्तावित है। इस राशि का उपयोग अभिनव योजनाओं पर किया जायेगा ताकि उपयोजना क्षेत्र में सस्टेनेबिल डवलपमेंट हो सके।

36. अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिये 75 नये राजकीय छात्रावास प्रारम्भ किये जायेंगे। इन छात्रावासों के माध्यम से एक हजार 900 अतिरिक्त बालक-बालिकाएं लाभान्वित हो सकेंगे। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के 15 एवं जनजाति के 10 नवीन अनुदानित छात्रावास भी प्रारम्भ किये जायेंगे।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

37. बारां जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसीलों में आदिम जनजाति समूह सहरिया, आर्थिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से अत्यन्त पिछड़ा हुआ है। इनके विकास के लिये एक विशेष पैकेज तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत 1 हजार 500 लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है एवं 1 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। सहरिया जनजाति के प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराने हेतु 20 करोड़ रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त जिला गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत सहरिया जनजाति के व्यक्तियों के लिये 1 हजार 200 आवासों का निर्माण कराया जायेगा। किशनगंज तहसील में एक आवासीय विद्यालय खोला जायेगा जिसके माध्यम से 250 सहरिया बालकों को शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा मिल सकेगी।

38. उदयपुर जिले के कोटड़ा एवं झाड़ोल क्षेत्र में निवास करने वाली कथौड़ी जनजाती के लिये एक वृहद् विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया जायेगा कथौड़ी जाति के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को इस वर्ष 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा जिसके लिए 1 करोड़ 30 लाख रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है। मां-बाड़ी योजना के अंतर्गत 20 केन्द्रों का संचालन कोटड़ा ब्लाक में किया जायेगा। कथौड़ी जाति की महिलाओं एवं बालिकाओं के लिये विशेष महिला शिक्षण शिविर एवं ब्रिज कोर्सेज आयोजित किये जायेंगे।

मानव संसाधन व सामाजिक आधारभूत सुविधाओं का विकास

39. विभिन्न विकास कार्यक्रमों के बावजूद भौतिक एवं सामाजिक आधारभूत सुविधाओं की कमी राजस्थान में अभी भी है और यही कारण रहा है कि 50 वर्षों की विकास यात्रा के उपरान्त भी राजस्थान को देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित नहीं किया जा सका है। स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, शिक्षा महिला एवं बाल विकास तथा ग्रामीण तथा ग्रामीण स्वच्छता के समन्वित विकास के बिना "सस्टेनेबिल डवलपमेंट" सम्भव नहीं है।

40. प्राथमिक शिक्षा में गत वर्ष 175 करोड़ 62 लाख रुपये का योजनामद में प्रावधान था जिसे इस वर्ष बढ़ाकर 300 करोड़ 66 लाख रुपये एवं

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

माध्यमिक शिक्षा में गत वर्ष के 31 करोड़ 93 लाख रुपये के प्रावधान को बढ़ाकर 123 करोड़ 12 लाख रुपये करना प्रस्तावित है।

41. विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के उन्नयन, पाठ्यक्रम-विकास, अध्ययन-अध्यापन सामग्री के विकास तथा शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिये इस वर्ष 119 करोड़ 28 लाख रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

42. प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने तथा प्राथमिक शिक्षा की सहज सुलभता के लिए प्रत्येक गांव एवं ढाणी से एक किलोमीटर की परिधि में प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने के संकल्प की क्रियान्विति में इस वर्ष 1 हजार 236 पाठशालाओं को प्राथमिक शालाओं में परिवर्तित करने के साथ-साथ 1 हजार 661 नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले जायेंगे। इसके लिये 28 करोड़ 71 लाख रुपयों का प्रावधान प्रस्तावित है।

43. इस वर्ष 715 प्राथमिक विद्यालयों, 400 उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा 200 माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जायेगा, जिसके लिये 36 करोड़ 26 लाख रुपयों का प्रावधान प्रस्तावित है।

44. शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खण्डों वाले प्रत्येक जिले में एक ''कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय'' खोला जायेगा जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अल्प संख्यक समुदाय की बालिकाओं हेतु आवास, भोजन, पाठ्य पुस्तकें आदि सुविधाएं निःशुल्क उपलबध करायी जायेंगे। सामाजिक रूप से अन्य पिछड़े वर्ग के बालक-बालिकाओं को विद्यालय जाने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु 10 करोड़ 61 लाख रुपये की पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां दी जायेंगी

45. राज्य में संचालित मान्यता प्राप्त मदरसों को ''वैकल्पिक शिक्षा केंद्र'' के रूप में मान्यता दी जायेगी तथा ऐसे केन्द्रो में सामान्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी जिसमें हिन्दी, गणित व पर्यावरण अध्ययन विषय शामिल होंगे। ऐसे केंद्रों हेतु 2 हजार रुपये प्रति विद्यालय प्रति वर्ष तथा अध्यापन सामग्री की व्यवस्था हेतु 500 रुपये प्रति अध्यापक प्रति वर्ष की दर से अनुदान देय होगा।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

46. 14 वर्ष तक की आयु के बालक-बालिकाओं के बहुआयामी विकास की दृष्टि से ''मल्टी सेक्टोरल चॉइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम'' नामक योजना पायलेट बेसिस पर चयनित विकास खण्डों में लागू की जायेगी। इस योजना के अंतर्गत बालक-बालिकाओं को चिह्नित कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उन्हें प्राथमिक शिक्षा, पोषाहार, टीकाकरण तथा स्वास्थ्य सेवाए यथा समय समेहित रूप से उपलब्ध हो सकें।

47. विद्यालय परिसरों में ''सामुदायिक अधिगम केन्द्र'' (Community Learning Centres) स्थापित किये जायेंगे जिनका संचालन समुदाय द्वारा किया जायेगा। ये केन्द्र जनभागीदारी से तथा विभिन्न राजकीय विभागों यथा शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला व बाल विकास, जल प्रदाय, समाज कल्याण, कृषि व वन के समन्वय से स्थापित किये जायेंगे।

48. साधनहीन बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की दृष्टि से ''आपकी बेटी'' योजना लागू की जायेगी।

49. वैश्वीकरण के इस युग में यह महती आवश्यकता है कि अधिक से अधिक लोग तकनीकी शिक्षा प्राप्त करें तथा प्रौद्योगिकी से उत्पन्न अवसरों द्वारा रोजगार प्राप्त कर सकें। इसे दृष्टिगत रखते हुये सरकार उच्च एवं तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के साथ-साथ विस्तार करने की योजना रखती है।

50. राज्य में जिन क्षेत्रों में उच्च एवं तकनीकी संस्थाओं की कमी है उन क्षेत्रों में निजी निवेश को प्रोत्साहित कर नये संस्थान स्थापित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु राज्य सरकार शीघ्र ही कानून बनायेगी ताकि राज्य में उच्च शिक्षा का विस्तार हो सके। मौजूदा उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों में आधारभूत कमियां हैं इन्हें समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार दूर किया जायेगा। राज्य में तकनीकी शिक्षा को नई दिशा देने व वर्तमान में उपलब्ध संस्थाओं में एकरूपता लाने और इसके विस्तार हेतु तकनीकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जायेगा। चिकित्सा शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने एवं रिसर्च को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य में ''मेडिकल यूनिवर्सिटी'' स्थापित की जायेगी।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

51. इस वर्ष उदयपुर जिले में खैरवाड़ा, अलवर जिले में थानागाजी व झूंझूनू में राजकीय महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त झालावाड़ और बारां के महिविद्यालयों को स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव है।

52. कृषि विश्वविद्यालय द्वारा शोध पर आधारित ज्ञान को किसानों तक पहुंचाने हेतु प्रायोगिक तौर पर कृषक विद्यालय प्रारम्भ किये जायेंगे जिनके माध्यम से काश्तकारों को नवीन तकनीकी शिक्षा उनके खेत पर ही उपलब्ध करायी जायेगी। किसानों को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कृषि एवं पशुपालन के विषय में भी शिक्षा प्रदान की जायेगी। कृषि विश्वविद्यालय में कृषि व्यवसाय व अन्य विषयों में अल्प अवधि के सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ किये जायेंगे ताकि काश्तकारों तक कृषि के नवीनीकरण एवं प्रौद्योगिकी का लाभ पहुंचाया जा सके।

53. सरकार में हर स्तर पर कार्यरत अधिकारियों तथा कर्मचारियों की दक्षता तथा ज्ञान में वृद्धि किया जाना वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आवश्यक है। अंत: मानव संसाधन विकास की प्राथमिकता को देखते हुए राज्य की एक प्रशिक्षण नीति जारी की जायेगी।

54. हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में राजस्थान का प्रतिनिधित्व बढ़े। इस दृष्टि से सरकार खेलों के लिये अंतरराष्ट्रीय स्तर की मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये आवश्यक उपाय करेगी। युवा एवं खेल-कूद हेतु गत वर्ष के आयोजना मद के 1 करोड़ 62 लाख रुपये के प्रावधान को इस वर्ष बढ़ाकर 7 करोड़ 69 लाख रुपये प्रस्तावित किया गया है।

55. इस वर्ष राजस्थान के 2 संभागों के खेल स्टेडियमों को खेलों के राष्ट्रीय मापदंडों के अनुरूप विकसित किया जायेगा। अजमेर, कोटा एवं उदयपुर में "यूथ होस्टल्स" का निर्माण किया जायेगा। सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर में एथलेटिक्स सिन्थेटिक ट्रैक, हॉकी एक्ट्रोटर्फ, सिन्थेटिक टेनिस कोर्ट, तथा इण्डोर स्टेडियम का विकास किया जायेगा। अजमेर स्टेडियम में सिन्थेटिक ट्रैक एवं झालावाड़ में खेल संकुल का विकास किया जायेगा।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

56. जिला एवं संभाग स्तर पर परम्परागत खेलों से सम्बन्धित प्रतियोगिता आयोजित की जायेंगी। ऐसी प्रतियोगिताएं संभाग तथा जिले के पर्यटक मेलों के साथ जोड़ी जायेंगी ताकि विदेशी पर्यटक भी परम्परागत खेलों के साथ जुड़ सकें। तत्पश्चात् राज्य स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाकर सफल प्रतियोगियों को राजस्थान दिवस पर पुरस्कृत किया जायेगा।

57. उचित आधारभूत सुविधायें एवं प्रशिक्षण के साथ राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी विकसित करने के लिये ''खेल प्रतिभा चयन योजना'' लागू की जायेगी, जिसके तहत चयनित खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति, प्रशिक्षण, नकद पुरस्कार इत्यादि दिये जायेंगे एवं सफल खिलाड़ियों को सरकारी एवं गैर- सरकारी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के प्रयास किये जायेंगे।

58. राज्य में मातृ-मृत्यु दर (MMR), शिशु मृत्यु दर (IMR), तथा कुल प्रजनन दर (TFR) देश के औसत और विकसित राज्यों की तुलना में अधिक है। इन स्वास्थ्य संकेतकों (Health Indicators) में सुधार लाने के लिऐ मानव संसाधन एवं सामाजिक आधारभूत सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान देना होगा।

59. राज्य में तीव्रगति से बढ़ती हुई जनसंख्या के नियंत्रण की दृष्टि से कई प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं। नसबंदी कराने वाले पुरूष एवं महिला को देय क्षतिपूर्ति राशि को एवं IUD अपनाने पर देय राशि को बढ़ाया गया है जिससे इन गर्भनिरोधक साधनों के अपनाने को प्रोत्साहित किया जा सके। इस योजना के अंतर्गत पहली बार निजी चिकित्सा संस्थानों एवं गैर-सरकारी संस्थानों को भी जोड़ा जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य में जनमंगल योजना को भी सुदृढ़ किया जा रहा है।

60. राज्य में चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार एवं गरीब वर्ग के व्यक्तियों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु इस वर्ष विश्व बैंक की सहायता से 472 करोड़ रुपये की लागत का ''राजस्थान हैल्थ सिस्ट्म्स प्रोजेक्ट'' प्रारंभ किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन हेतु इस वर्ष 92 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

61. प्रत्येक विकास खण्ड में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का चयन कर उसे आदर्श केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना इस वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ की जायेगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र की आधारभूत सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिये मरू क्षेत्र में 461 स्वास्थ्य उप केंद्र स्थापित किये जायेंगे।

62. आदिवासी क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति एवं प्रजनन-स्वास्थ्य की विशेष आवश्यकता को देखते हुए आदिवासी बाहुल्य जिलों डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर एवं सिरोही में 1 हजार 119 अतिरिक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जायेगी जिसके लिये 2 करोड़ 35 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

63. जनजाति एवं मरू क्षेत्रों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवायें उपलब्ध कराने के लिये ''संजीवनी योजना'' के अंतर्गत जिला अस्पतालों के विशेषज्ञ चिकित्सक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर सेवायें उपलब्ध करायेंगे।

64. राज्य में चल रहे शाला स्वास्थ्य केंद्र के साथ-साथ आदिवासी जिलों में ''स्वास्थिका'' (School Health Project) नामक एक विशेष कार्यक्रम बाह्य सहयोग से चलाया जायेगा जिस पर 14 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

65. बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य में न्यूरोसर्जरी की सुविधाओं के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है। इस प्रयोजनार्थ बीकानेर, कोटा, उदयपुर, अजमेर एवं जोधपुर में न्यूरोसर्जरी की सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त सड़क दुर्घटना में घायल हुए व्यक्तियों के प्रभावी उपचार के लिये राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित 6 अस्पतालों में ''ट्रोमा यूनिट्स'' स्थापित की जायेंगी।

66. ग्रामसैट योजना के माध्यम से विभिन्न विभाग अपने कार्मिकों के प्रशिक्षण और कार्यक्रमों की सूचना के प्रचार एवं प्रसार का कार्य करेंगे। चयनित विकास खण्डों की सभी स्वास्थ्य संस्थाओं को 3 करोड़ रुपये की लागत से कम्प्यूटर तंत्र के साथ जोड़ा जायेगा ताकि कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सकें। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञ चिकित्सा सेवायें उपलब्ध

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

कराने के उद्देश्य से राज्य में ''टेलीमेडिसिन'' की परियोजना में चुने हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा जिला अस्पताल को सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर एवं देश के विभिन्न प्रतिष्ठित विशेषज्ञ चिकित्सालयों से जोड़ा जायेगा।

67. ''इन्डिजिनस सिस्ट्म ऑफ मेडिसिन'' को बढ़ावा देने की दृष्टि से राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में चालू शैक्षणिक सत्र में आयुर्वेदिक फार्मेसी, हर्बल फार्मिंग एवं पंचकर्म विषय पर डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जायेंगे।

68. चिकित्सा सुविधा से वंचित स्थानों पर आयुर्वेद व यूनानी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से 35 नवीन आयुर्वेद औषधालय तथा 10 नवीन यूनानी औषधालय खोले जायेंगे तथा वर्तमान में संचालित 'बी' श्रेणी के 5 आयुर्वेद औषधालयों को शय्यायुक्त चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा।

69. राज्य में आयुर्वेद के व्यापक उपयोग वाली औषधियों व जड़ी बूटियों की पैदावार की विपुल संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निजी क्षेत्र की भागीदारी से शाक संकुल (Herbal gardens) स्थापित किये जायेंगे।

70. एलोपैथिक, आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथिक चिकित्सा सुविधा को एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने की योजना है। प्रथम चरण में इस वर्ष प्रत्येक मेडिकल कालेज के सम्बद्ध अस्पताल, जिला मुख्यालय एवं प्रत्येक जिले के किसी एक ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में इस तरह की व्यवस्था प्रारंभ की जायेगी।

रोजगार सृजन तथा प्राकृतिक व सांस्कृतिक संपदा संरक्षण

71. रोजगार सृजन एवं जनसामान्य के जीवन स्तर का चहुंमुखी विकास हमारी योजनाओं का आधार होगा। हमारा प्रयास होगा कि रोजगार सम्बन्धी क्षेत्रों का समन्वित विकास किया जाये ताकि राज्य के युवक व युवतियां स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो सकें। कृषि, पशुपालन, मतस्य, वन, सहकारिता, पर्यटन, खनिज एवं उद्योग ऐसे क्षेत्र हैं जो श्रम प्रधान हैं। हमारा प्रयास है कि इन क्षेत्रों का समन्वित विकास किया जाये जिससे अतिरिक्त रोजगार सृजन हो सके।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

72. कृषि क्षेत्र में हमारी नीति के चार आधार-स्तम्भ होंगे : कृषि-आय में वृद्धि करना, जल जैसे दुर्लभ संसाधन का अधिक कुशल उपयोग करना, पर्याप्त विपणन-श्रंखलायें सृजित करना एवं ऐसी कृषि पद्धतियों को प्रोन्नत करना, जिससे हम सतत कृषि व्यवस्था की ओर बढ़ सकें।

73. हमारी नीतियों एवं कार्यक्रमों में अब तक केवल खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि पर ही बल दिया गया है। अब खद्यान्न उत्पादन की वृद्धि तक ही सीमित नहीं रह कर, कृषि-आय में वृद्धि पर केंद्रित होने की आवश्यकता है। इसके लिये अन्य बातों के अलावा, फसल पद्धति में परिवर्तन की आवश्यकता है जो कि पर्याप्त विपणन-श्रंखला उपलब्ध कराये जाने से ही संभव हो सकती है। इसके अतिरिक्त समर्थन मूल्य की सुचारू व्यवस्था की आवश्यकता है, ताकि फसल विक्रय के शिखर समय पर भी कृषकों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिल सके। हमारे सीमित जल संसाधनों का भी उतना कुशल उपयोग नहीं किया गया है जितना किया जा सकता था। अतः जल की अंतिम बूंद का भी उपयोग किये जाने की आवश्यकता है। परिणामतः हमें फव्वारा एवं बूंद-बूंद सिंचाई के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में वृद्धि करनी होगी। आगामी वर्षों में हमारे प्रयास, जल की प्रत्येक इकाई पर कृषि उत्पाद को अधिकतम करने पर केंद्रित होंगे। पानी के अधिक उपयोग से सिंचित क्षेत्रों में जल संग्रहण जैसी समस्यायें उत्पन्न हुई हैं एवं मृदा के पोषक तत्वों का तेजी से क्षरण हुआ है। फलतः हमारा लक्ष्य ऐसी कृषि पद्धतियां प्रचलित करना है, जिससे हम ''सस्टेनेबिल'' कृषि की और अग्रसर हो सकें।

74. कृषि को निर्यातोन्मुखी बनाने के लिये धनिया, जीरा और ग्वार-गम के लिये कृषि निर्यात क्षेत्र (AEZ) विकसित किये जायेंगे। राज्य में ऑरगेनिक कृषि को प्रोत्साहन दिया जायेगा तथा बाजार में ऐसे उत्पादनों की उचित कीमत दिलाये जाने की व्यवस्था की जायेगी।

75. राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, ख़रीफ 2003 से 6 फसलों-मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, कपास एवं ग्वार के लिये लागू की गई थी। चूंकि योजना की अधिसूचना विलंब से 24 जुलाई, 2003 को ही जारी की गई थी इसलिये गत वर्ष इस योजना का लाभ केवल 20 हजार कृषक ही उठा

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)
सके थे। यहां यह कहना चाहूंगी कि सबूत है मेरे घर में ये धुंए के धब्बे कि कमी यहाँ उ जालों ने खुदकुशी की होगी। आपके लिए..

श्री राजेन्द्र राठौड़ : है जवाब, कल्ला साहब ?...(व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे : कल्ला साहब नहीं देखें, मैंने यही कहा ना कि कल्ला साहब के लिए इतना सब कर रही हूं फिर...(व्यवधान)

इस योजना के अंतर्गत, फसल की क्षति होने पर, नुकसान का 50 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार को देना होता है। फिर भी वर्षा पर निर्भर प्रदेश के लाखों किसानों की समस्याओं को देखते हुए हमने निर्णय लिया है कि इस वर्ष ख़रीफ में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को, सभी प्रमुख फसलों पर लागू किया जायेगा। ये 14 फसलें है :- धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मोठ, उड़द, चौला, अरहर, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, अरण्डी एवं ग्वार। इस वर्ष ख़रीफ की अधिसूचना जारी की जा चुकी है जिससे लाखों किसान इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।

76. राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कई जिन्सों पर लागू नहीं होती है। इसके अतिरिक्त इस योजना में मुआवजे की राशि फसल कटाई परीक्षण पर निर्धारित है, जिससे देरी भी होती है और अनिश्चितता भी रहती है। जैसा कि आप जानते हैं, फसल वर्षा और तापमान पर मुख्य रूप से निर्धारित है। अंतः इस वर्ष, परीक्षण के तौर पर, संतरों के लिए मौसमी बीमा योजना लागू की गयी है। चूंकि इस योजना में वर्षा के निश्चित मापदंड पर मुआवजा देय है, इसलिये निर्धारित मुआवजा जल्दी मिलने की संभावना रहती है। अगर यह ''पायलेट प्रोजेक्ट'' सफल रहता है, तो इसे और व्यापक स्तर पर लागू किया जायेगा।

77. जैसाकि आप जानते है, किसान की दुविधा यह है कि अच्छी फसल होने पर भी उसे विशेष लाभ नहीं होता है क्योंकि ऐसी स्थिति में अक्सर मंडियों में जिन्सों के दाम अत्यधिक गिर जाते हैं। मेरी सरकार किसानों को उनकी उपज के लिये उपयुक्त दाम दिलाने के लिये कटिबद्ध है। इसके परिणामस्वरूप इस बार 4 फसलों के लिये बाजार हस्तक्षेप योजना लागू की गयी है। सर्वप्रथम संतरों के लिये, तत्पश्चात् जीरा और धनियां के लिये, और अभी हाल में प्याज के लिये इस योजना को लागू किया गया है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

78. "कृषक-साथी" योजना के अंतर्गत किसी भी कृषक अथवा खेतीहर मजदूर की कृषि अथवा कृषि विपणन का कार्य करते समय दुर्घटना में मृत्यु होने पर उसके परिवार को 30 हजार रुपये और दो अंगों की क्षति होने पर प्रभावित कृषक अथवा मजदूर को 15 हजार रुपये दिये जाते हैं। मैं समझती हूं कि यह राशि पयाप्त नहीं है। अंत: कृषक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उसके परिवार 50 हजार रुपये और दो अंगों की क्षति होने पर कृषक को कम से कम 25 हजार रुपये की सहायता राशि देना प्रस्तावित है। कृषक उपहार योजना के तहत, लंबी अवधि के बाद इनाम निकलने से इस इनामी योजना से कृषक ठीक प्रकार से लाभान्वित नहीं हो पाते। अतः इस योजना पर पुनर्विचार कर इसे "कृषक-साथी" योजना में सम्मिलित किया जायेगा। इन योजनाओं का या इनके विस्तृत रूप का ख़रचा "किसान जीवन कल्याण कोष" से किया जायेगा जिसका गठन राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1961 में संशोधन कर किया जायेगा।

79. किसानों को आवश्यक विपणन सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मंडी अधिनियम को संशोधित कर "किसान कल्याण कोष" की स्थापना की जायेगी।

80. भारत सरकार ने हाल ही में घोषित कृषि ऋण वितरण नीति में किसानों को उपलबध कराये जाने वाले ऋण में राष्ट्रीय स्तर पर इस वर्ष 30 प्रतिशत वृद्धि किये जाने का संकेत दिया है। राज्य सरकार इस नीति के अनुरूप वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों के माध्यम से यह सुनिश्चित करेगी कि कृषकों को ऋण वितरण में 30 प्रतिशत से अधिक वृद्धि इस वर्ष प्राप्त की जा सके। जहां तक सहकारी बैंकों का प्रश्न है, गत वर्ष वितरित 1 हजार 400 करोड़ रुपये के ऋण की तुलना में इस वर्ष कुल 1 हजार 950 करोड़ रुपये के ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है जिसमें से 1 हजार 640 करोड़ अल्पकालीन फसली ऋण के रूप में उपलब्ध कराये जायेंगे।

81. किसानों को सुगमता से ऋण उपलब्ध हो सकें इसके लिये उन्हें "किसान क्रेडिट कार्ड" गत पांच वर्षों से वितरित किये जा रहे हैं। राज्य के कुल 42 लाख 52 हजार पात्र किसानों में से मार्च 2004 तक 27 लाख 84 हजार किसानों को "किसान क्रेडिट कार्ड" जारी किये जा चुके हैं जिनमें से 20

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

लाख 29 हजार ''किसान क्रेडिट कार्ड'' राज्य के सहकारी बैंकों द्वारा जारी किये गये हैं। इस वर्ष अगस्त माह से 3 माह का एक सघन अभियान चलाकर राज्य के शेष रहे समस्त पात्र किसानों को सहकारी बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से ''किसान क्रेडिट कार्ड'' उपलब्ध करा दिये जायेंगे एवं यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कोइ भी पात्र किसान इससे वंचित नहीं रहे।

82. प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, अकाल आदि व अन्य कारणों से कुछ किसान ऋण का चुकारा समय पर नहीं कर पाते हैं। ऐसे किसानों को बहुधा नया ऋण प्राप्त करने में अत्यन्त कठिनाई होती है। अतः उन्हें राहत पहुंचाने के लिये, नाबार्ड से दिशा निर्देश प्राप्त होते ही राज्य सरकार द्वारा योजना बनाई जाकर इन किसानों के ऋणों का पुनर्गठन व पुनर्निर्धारण किया जायेगा। ऐसे लघु व सीमांत कृषकों क लिय, जो प्राकृतिक आपदाओं एवं अन्य कारणों से ऋण का चुकारा नहीं कर पाये हैं तथा इस कारण नया ऋण प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, एकमुश्त समाधान योजना चलाई जायेगी।

83. ''नई सदी नया सहकार'' योजना के अंतर्गत ''मेडिसनल प्लांट्स'', फल-सब्जी तथा ऑर्गेनिक कृषि को बढ़ावा देने हेतु सहकारी समितियां बनाने का प्रयास किया जायेगा जिससे इस क्षेत्र में युवाओं के लिए अतिरिक्त रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो सकेंगे। सहकारी क्षेत्र में सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थय, परिवहन, निर्माण, आवास तथा बिल संग्रहण जैसे कार्य संपादित करवाने को प्रोत्साहित किया जाकर रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे।

84. पशुधन राज्य की ऐसी संपदा है, जिससे रोजगार एवं समृद्धि में वृद्धि की विपुल संभावनायें है। इस क्षेत्र की क्षमताओं का पूरा लाभ मिल सके, इस हेतु, मैं कई नये उपाय प्रस्तावित कर रही हूं। हमारा लक्ष्य उपयुक्त Germ-Plasm की व्यापक उपलब्धि सुनिश्चित कर, अल्प दुग्ध उत्पादक एवं गैर-नस्ली पशुओं की संख्या को तेजी से कम करना है। उत्पादिता में वृद्धि, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं, तथा पर्याप्त बाजार शृंखला की व्यवस्था एवं चारे के पर्याप्त स्रोतों के विकास से पशुपालन के क्षेत्र में स्थायी सुधार किये जा सकते

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

हैं। ये प्रयास रोजगार एवं कृषि आय में उल्लेखनीय वृद्धि अर्जित करने तथा गरीबी हटाने में सार्थक सिद्ध होंगे।

85. राज्य में डेयरी क्षेत्र में निहित क्षमता को ध्यान में रखते हुए मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि अगले कुछ वर्षों में दूध का निजी एवं सहकारिता क्षेत्र में संग्रहण, गुजरात के समान 50 लाख मीटर दूध प्रतिदिन तक बढ़ाया जा सकता है। केवल सहकारिता क्षेत्र में ही हमने आगामी चार वर्षों में 25 लाख लीटर दूध प्रतिदिन संग्रहण करने का लक्ष्य तय किया है।

86. राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक व्यवस्था में गौ-वंश का महत्तवपूर्ण स्थान है। गाय न केवल अकाल की स्थिति में किसान की मददगार साबित होती है, बल्कि सामान्य समय में भी कृषि एवं डेयरी क्षेत्र के विकास में इसका विशेष योगदान है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी गाय के दूध का कोई विकल्प नहीं है, इसलिये ही गाय को माता की उपाधि दी गयी है। राज्य में गौ-वंश की वृद्धि एवं नस्ल सुधार के उद्देश्य से पथमेड़ा गौशाला के विकास हेतु एक विशेष पैकेज तैयार किया जायेगा एवं इसके लिए वांछित प्रावधान भी किया जायेगा।

87. उद्योग विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत इस वर्ष लगभग 72 हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। खादी एवं ग्रामीण उद्योगों के लिये इस वर्ष 5 करोड़ 25 लाख रुपये की राशि व्यय की जायेगी जिससे लगभग 15 हजार 400 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा।

88. रीको एवं आर.एफ.सी. द्वारा किये जा रहे औद्योगिक निवेश के फलस्वरूप इस वर्ष लगभग 10 हजार लोगों को रोजगार के नये अवसर उपलब्ध होंगे। राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र में समग्र रूप से लगभग एक लाख लोगों को रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराये जाने का हमारा लक्ष्य हैं।

89. राज्य में कतिपय उद्योग यथा जैम्स-ज्वैलरी, सीमेंट, टैक्सटाइल्स, हैण्डीक्राफ्ट, साल्टस तथा खाद्य तेल के लिये पृथक से औद्योगिक नीति बनाई जायेगी। निर्यातोन्मुखी उद्योंगो को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने तथा कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिये एक निर्यात प्रोत्साहन नीति बनाया जाना प्रस्तावित है जिसमें कृषि उत्पादों की गुणवत्ता व मूल्य संवर्धन (वैल्यू एडियशन) में गुणात्मक वृद्धि को भी ध्यान में रखा जा सके।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

90. लघु उद्योग तथा अति छोटे उद्योंगो को, पूर्व में बनाई गई निवेश नीति -2003 (इन्वेस्टमेंट पॉलिसी-2003) में, अपेक्षित संरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। हमारा यह प्रयास होगा कि लघु एवं अति छोटे उद्योगों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाये साथ ही रूग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिये भी नीति निर्धारित की जाये। इस बारे में, मैं, मेरे कर प्रस्तावों में विस्तार से उल्लेख करूंगी।

91. राज्य के दूरस्थ स्थानों में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के प्रयत्न किये जायेंगे जिसमें गैर-सरकारी संस्थाओं एवं निजी निवेश के लिये ट्रस्ट आदि को प्रोत्साहित किया जायेगा। इसके साथ ही ''नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ स्माल इण्डस्ट्रीज एक्सटेंशन एण्ड ट्रेनिंग'' (NISIET) हैदराबाद की सहायता से उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

92. राज्य में लगभग 70 प्रतिशत बुनकर अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के हैं जिनका आर्थिक स्तर अच्छा नहीं है तथा इन बुनकरों की सामान्य समस्या कार्यशील पूंजी जुटाने की रहती है। इस समस्या के निराकरण के लिये एक त्रि-पक्षीय अनुबंध, बुनकर संघ, बुनकर सहकारी समिति तथा राज्य वित्त निगम के बीच कराया जायेगा। राज्य में धागे की कीमतों में स्थिरता लाने के लिये एक यार्न बैंक स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

93. अनुसूचित जाति के ऐसे बेरोजगार युवाओं को, जो प्राथमिक शिक्षा तक योग्यता रखते हों, राजस्थान अनुसूचित जाति-जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम द्वारा संचालित स्वः रोजगार योजनाओं के अंतर्गत अपना धन्धा लगाने हेतु अथवा उद्यम स्थापित करने के लिए उपलब्ध कराये जाने वाले ऋण पर ब्याज में 5 प्रतिशत का अनुदान राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। इस ''स्वावलंबन योजना'' के अंतर्गत इस वर्ष 5 हजार अनुसूचित जाति के लोगों को लाभान्वित किया जायेगा।

94. इस वर्ष वन विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं में 123 करोड़ रुपये की राशि व्यय किया जाना प्रस्तावित है। वर्ष के दौरान विभाग द्वारा 21 हजार 600 हैक्टैयर क्षेत्र में वृक्षारोपण, 13 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में अग्रिम मृदा कार्य करवाये

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

जायेंगे तथा 90 लाख पौधों का कृषि वानिकी हेतु वितरण किया जायेगा। विभाग द्वारा किये जाने वाले विकास कार्यों पर लगभग 100 लाख मानव दिवसों का रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा जिससे वर्ष में लगभग 30 हजार श्रमिक प्रतिदिन नियोजित हो सकेंगे।

95. ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं हेतु इस वर्ष 619 करोड़ 25 लाख रुपये का व्यय अनुमानित है।

96. ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से क्रियान्वित की जा रही सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत इस वर्ष 177 करोड़ 58 लाख रुपये नकद एवं लगभग 1 लाख 48 हजार मैट्रिक टन गेहूं का आवंटन किया गया है। इस राशि से लगभग 204 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजन हो सकेगा।

97. जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना (डी.पी.आई.पी.) के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले गरीब व्यक्तियों के समूह गठित करवाकर गैर-सरकारी संस्थाओं के माध्यम से उनकी क्षमताओं का विकास किया जाता है ताकि वे अपना जीविकोपार्जन कर सकें। इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु चालू वर्ष में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

98. ग्रामीण क्षेत्रों में विकास एवं रोजगार सृजन तथा सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण एवं रख-रखाव में स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये "गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना" इस वर्ष प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना के तहत सामान्य क्षेत्र में न्यूनतम 30 प्रतिशत राशि एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में न्यूनतम 20 प्रतिशत राशि जन सहयोग से सामग्री या श्रम के रूप में अथवा नकद प्राप्त की जायेगी तथा शेष राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

99. खनिज एवं खनन आधारित उद्योगों में प्रत्यक्ष रूप से 4 लाख 60 हजार व्यक्तियों को तथा परोक्ष रूप से 21 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। राज्य सरकार का यह प्रयास होगा कि इस वर्ष खनिज एवं खनन

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

क्षेत्र में लगभग 5 लाख व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार तथा 22 लाख व्यक्तियों को परोक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध हो सके। राज्य की खनिज नीति को अधिक व्यावहारिक एवं रोजगारोन्मुखी बनाने तथा निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से संशोधित किया जायेगा। मेरा यह प्रयास होगा कि राज्य में उपलब्ध तेल एवं गैस की प्रचुर संपदा के योजनाबद्ध एवं समयबद्ध दोहन हेतु एक नीति निर्धारित की जाये ताकि राज्य के आर्थिक विकास में इस क्षेत्र का समुचित योगदान प्राप्त किया जा सके।

100. पर्यटन में राजस्थान न केवल देश में अपितु विश्व में अपना अनूठा स्थान रखता है। इस क्षेत्र में निवेश से रोजगार के सर्वाधिक अवसर उपलब्ध होते हैं। वर्ष 2004 की प्रथम तिमाही में वर्ष 2003 की समकक्ष अवधि की तुलना में विदेशी पर्यटकों के आगमन में 67 प्रतिशत एवं देशी पर्यटकों के आगमन में 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो देश के अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है। पर्यटकों के आगमन की इस वृद्धि से राज्य में पर्यटन से रोजगार प्राप्त कर रहे 6 लाख से अधिक लोगों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी एवं बड़ी संख्या में अतिरिक्त रोजगार का सृजन होगा। राज्य की आर्थिक प्रगति में पर्यटन के महत्व को देखते हुए पर्यटन विभाग का बजट गत वर्ष के 12 करोड़ रुपये से बढ़ाकर इस वर्ष के लिये 22 करोड़ 50 लाख रुपये प्रस्तावित किया गया है।

101. पर्यटन व्यवसाय को सुदृढ़ करने एवं आधारभूत ढांचे को और अधिक मजबूत करने के लिये सार्वजनिक-निजी सहभागिता के आधार पर नवीन परियोजनायें विकसित की जायेंगी एवं व्यापक स्तर पर निजी क्षेत्र का निवेश आकर्षित किया जायेगा। इन परियोजनाओं में जयपुर में जलमहल क्षेत्र का पर्यटन संकुल के रूप में विकास, उदयपुर में रोप-वे का निर्माण, जयपुर में अंतरराष्ट्रीय स्तर के "कनवेंशन सेंटर" एवं "गोल्फ रिसोर्ट" की स्थापना एवं अलवर जिले में तिजारा फोर्ट को पर्यटन इकाई के रूप में प्रारंभ किया जाना मुख्य है।

102. आमेर दुर्ग देशी-विदेशी पर्यटकों के लिये आकर्षण का सतत केंद्र रहा है। इसके संरक्षण एवं विकास हेतु मास्टर प्लान तैयार कर इसके अनुसार कार्य कराये जायेंगे।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

103. राज्य के हाड़ौती क्षेत्र में पर्यटन विकास की विपुल संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए इस संपूर्ण क्षेत्र में पर्यटक प्रवाह बढ़ाने हेतु पर्यटन स्थलों के विकास की वृहद परियोजना तैयार की जायेगी।

104. राज्य में आध्यात्मिक पर्यटन की विपुल संभावना को दृष्टिगत रखते हुए पर्यटन एवं देवस्थान विभाग द्वारा संयुक्त रूप से अजमेर में दरगाह शरीफ, पुष्कर, नाथद्वारा, श्री महावीर जी, रणकपुर, रामदेवरा जैसे प्रसिद्ध स्थलों का विकास किया जायेगा। राज्य के प्राचीन स्मारकों को संरक्षण प्रदान करने की दिशा में एक नई योजना ''एडोप्ट ए मान्यूमेंट'' को निजी क्षेत्र में जन-सहभागिता के आधार पर विकसित किया जायेगा।

105. आध्यात्मिक पर्यटन व आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 108 मंदिर व उससे जुड़ी संपत्तियों को चिन्हित कर ''अपना धाम-अपना काम-अपना नाम '' योजना क्रियान्वित की जायेगी।

106. सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में राजस्थान की हिस्सेदारी बहुत कम है। प्रदेश की सूचना प्रौद्योगिकी नीति, 2000 का पुनर्विलोकन किया जायेगा। राज्य में ''बिजनस प्रोसेस आउट सोर्सिंग'' एवं ''कॉल सेंटर्स'' की स्थापना को प्रोत्साहित किया जायेगा ताकि राज्य के युवक-युवतियों को रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध हों। ऐसा अनुमान है कि प्रथम वर्ष में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 1 हजार 200 एवं द्वितीय वर्ष में 2 हजार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा।

Gurudev Rabindranath Tagore said, I quote:

"Where the mind is without fear, and the head is held high; Where knowledge is free, free where the world's not been broken up into fragments. into the heave of freedom, my father letmy country awake."

इसी को शासन का मूलमंत्र मानते हुए हम अपनी सरकार को चलाएंगे।

अच्छा शासन एवं राजकोषीय सुधार

107. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को विभिन्न कार्यों हेतु सरकार के संपर्क में आना पड़ता है, चाहे वह पुलिस थाना हो अथवा कोई विभाग। सामान्य व्यक्तियों के सरकार से पड़ने वाले कार्य बिना किसी

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

असुविधा के हो सकें, इस उद्देश्य से हम शासन की व्यवस्था एवं प्रक्रिया में शनै:शनै: परिवर्तन लाना चाहते है। इस दृष्टि से हमारा प्रयास होगा कि प्रकरणो के निस्तारण हेतु समय सीमा निर्धारित की जाये, प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाये, सेवाओं के स्तर में सुधार लाया जाये तथा राजकीय कार्य में उत्तरदायित्व की भावना विकसित की जाये। अंत: उन विभागों की कार्यप्रणाली में व्यापक सुधार किया जायेगा जिनसे जन-सामान्य का प्राय: काम पड़ता है।

108. विभिन्न विभागों के नागरिक अधिकार पत्र जारी होने के बावजूद यह महसूस किया गया है कि उनका क्रियान्वयन लोगों की अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो पाया है। अंत: नागरिक अधिकार पत्रों को, सम्बन्धित लोगों से विचार-विमर्श कर, संशोधित किया जायेगा तथा विभिन्न कार्यों के लिये स्पष्ट समय सीमा निर्धारित की जायेगी।

109. आम जनता से बेहतर तालमेल विकसित करने के उद्देश्य से एकल खिड़की योजना, इंटिग्रेटेड सिटीज़न सर्विस सेन्टर व कियोस्क स्थापित करने के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग करने का प्रयास किया जायेगा। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र की भी जन-सेवाओं में सक्रिय भागीदारी बढ़ाई जायेगी।

110. भ्रष्टाचार के मामलों पर प्रभावी नियंत्रण किया जाना आवश्यक है ताकि आम नागरिक को समाज की इस विकृति से निजात मिल सके। इस दृष्टि से मुख्य सतर्कता आयुक्त की भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाया जायेगा। साथ ही जिला सतर्कता समितियों को भ्रष्टाचार के संभावित क्षेत्रों पर कड़ी नजर रखने हेतु पाबंद किया जायेगा तथा "इन्टरनेट अनेबिल्ड ग्रीवियेंस रिड्रेसल सिस्टम" लागू किया जायेगा।

111. सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार के एकीकरण से सरकारी सुविधायें आम जनता तक कम समय में बेहतर तरीके से पहुंचायी जा सकती है। इस वर्ष सूचना प्रौद्योगिकी का बजट 27 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है जो गत वर्ष से 15 करोड़ 8 लाख रुपये अधिक है।

112. सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में "लोक-मित्र" व "जन-मित्र" योजनायें पहले से संचालित हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत अलग-अलग रूप से उपलब्ध समस्त सेवाएं अब एकीकृत रूप से "ई-मित्र" के माध्यम से उपलब्ध हो

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

सकेंगी। ''ई-मित्र'' पर राज्य सरकार से सम्बन्धित सूचनायें एवं सेवायें उपलब्ध कराने के साथ केंद्र सरकार के विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों एवं निजी क्षेत्र के संगठनों से सम्बन्धित सेवायें भी उपलब्ध करवाई जायेंगी।

113. ''ई-मित्र'' का क्रियान्वयन निजी क्षेत्र की सहभागिता से किया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में यह सुविधा ''जन-मित्र'' कियोस्क आधारित होगी एवं शहरी क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर ''लोक-मित्र'' केंद्र खोले जायेंगे। ''ई-मित्र'' सेवायें आम जनता को इंटरनेट के माध्यम से भी उपलब्ध करवायी जायेंगी।

114. तहसील स्तर पर जमाबंदियों का कम्प्यूटरीकरण हो गया है और रिकार्ड की नकलें किसानों को दी जा रही है। अतिरिक्त तहसीलों एवं उपतहसीलों में भी कम्प्यूटरीकरण कराये जाने का प्रस्ताव है। जमाबंदियों के अलावा नक्शों एवं खसरा गिरदावरी के कंम्प्यूटरीकरण के प्रस्ताव भी विचाराधीन हैं। कंम्प्यूटरीकरण से आम किसानों को लाभ होगा। वे अपने नजदीकी कार्यालय से अपने खातों का ब्यौरा देख पायेंगे तथा नकलें भी प्राप्त कर सकेंगे।

115. राजस्व न्यायालय ज्यूडिशियल व सिविल न्यायालयों से सम्न्धित कम्प्यूटरीकरण के कार्य को प्राथमिकता दी जायेगी। न्याय प्रशासन हेतु विभिन्न निर्माण कार्यों पर इस वर्ष 25 करोड़ 32 लाख रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है जो गत वर्ष से 9 करोड़ 89 लाख रुपये अधिक है।

116. कृषि भूमि को अन्य कार्य हेतु उपयोग में लेने पर राज्य सरकार द्वारा रूपान्तरण शुल्क लिये जाने के लिये विभिन्न नियम बने हुए हैं जिनमें आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, पैट्रोल पंप आदि के लिए रूपान्तरण शामिल है। अलग-अलग रूपान्तरण नियमों की बजाय एक ही प्रकार के रूपान्तरण नियम बनाये जाने का प्रस्ताव है। इससे भूमि रूपान्तरण नियमों में एकरूपता आयेगी एवं सम्बन्धित व्यक्तियों को लाभ भी होगा।

117. इंदिरा गांधी नहर, गंग कैनाल व भाखड़ा कमान क्षेत्र के अस्थाई पट्टाधारकों को जो लंबे समय से इन पट्टों के आधार पर काबिज हैं, खातेदारी अधिकार दिये जाने का निर्णय लिया गया है जिसके अंतर्गत दिनांक 1.4.1995

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

तक के अस्थाई पट्टाधारकों को खातेदारी अधिकार दिये जायेंगे। इन अस्थाई पट्टाधारकों से निर्धारित दरों पर जमीन की कीमत वसूल की जायेगी।

118. समस्त उपनिवेश क्षेत्र में 31 मार्च, 2004 तक की भूमि आवंटन से सम्बन्धित बकाया राशि 31 दिसम्बर, 2004 तक जमा कराने पर ब्याज में छूट दिये जाने का निर्णय लिया गया है। इससे जहां राज्य सरकार की बकाया राशि वसूल होगी, वहीं किसानों को ब्याज माफी से आर्थिक लाभ होगा।

119. उपनिवेश क्षेत्र में मध्यम एवं छोटे भूखंडों के पास वाले किसानों को आवंटन किये जाने का प्रावधान है, लेकिन ऐसी मध्यम एवं छोटी पट्टियों पर यदि पड़ौसी आवंटी काश्तकार ने अतिक्रमण कर रखा है तो उन्हें नियमित किये जाने का प्रावधान नियमों में नहीं है। अंतः ऐसे अतिक्रमिक भूखंडों का नियमन, निर्धारित राशि वसूल करके अतिक्रमण करने वाले पड़ोसी आवंटी काश्तकार के पक्ष में करने का प्रस्ताव है।

120. कारगिल लड़ाई से पूर्व के शहीद सैनिकों की विधवाओं एवं स्थाई रूप से निशक्त सैनिकों के एक-एक आश्रित को कारगिल पैकेज के अनुरूप नौकरी देने का प्रस्ताव है।

121. प्रायः यह देखा गया है कि राशन कार्ड बनवाने में अध्ययनरत छात्रों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। अध्ययन हेतु अपने घरों से अन्य स्थानों पर रहने वाले छात्रों का राशन कार्ड बनाने का कार्य स्कूल के प्रधानाध्यापक को अथवा संस्था प्रधान को दिया जायेगा।

122. पुलिस थानों में एफ.आई.आर. दर्ज कराने की प्रक्रिया को सरल बनाने की दृष्टि से इंटरनेट के माध्यम से एफ.आई.आर. दर्ज कराने की व्यवस्था की जा रही है। प्रथम चरण में यह व्यवस्था जयपुर के समस्त थानों में प्रारम्भ की जायेगी।

123. प्रायः यह देखने में आता है कि सामान्य जन पुलिस से सम्पर्क करने में संकोच करते हैं। पुलिस का आम जनता से बेहतर तालमेल विकसित करने की दृष्टि से राज्य सरकार ने प्रत्येक संभागीय मुख्यालय पर एक परामर्श एवं

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

सहायता केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह केंद्र पुलिस के भवनों के अलावा अन्य स्थानों पर खोले जायेंगे तथा इन केंद्रों में पुलिस कर्मी सादी पोषक में ही बैठेंगे ताकि लोगों को अपनी समस्याओं के सम्बन्ध में इनसे सम्पर्क करने में कोई संकोच नहीं हो। इन केंद्रों पर सामान्य लोगों को अपनी विभिन्न समस्याओं के सम्बन्ध में परामर्श सुलभ होगा। इस कार्य में गैर-सरकारी संगठनों का सहयोग भी प्राप्त किया जायेगा।

124. "वेबसाइट" के माध्यम से पासपोर्ट जारी करने हेतु पुलिस जांच तथा हथियारों के लाईसेंस सम्बन्धी आवेदनों की स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी।

125. महिला बंदियों को सामान्य जेलों जिनमें पुरूष बंदी भी होते है रखने में समस्या होती है। अतः राज्य सरकार ने प्रत्येक संभागीय मुख्यालय पर महिला बंदियों हेतु अलग जेल स्थापित करने का निर्णय किया है। इस क्रम में चालू वर्ष में जोधपुर में महिला बंदियों हेतु अलग जेल स्थापित की जा रही है।

126. वर्तमान में विभिन्न न्यायालयों में ऐसे बहुत सारे प्रकरण लंबित हैं जिनमें राज्य सरकार पक्षकार है। इन समस्त प्रकरणों की समीक्षा हेतु तथा यह निर्णय करने की दृष्टि से कि इन प्रकरणों को जारी रखना राज्य हित में है अथवा नहीं, विभिन्न स्तर की समितियां बनाना प्रस्तावित है।

127. कम्प्यूटर-नेटवर्क द्वारा परिवहन विभाग अपनी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करेगा। प्रशिक्षु लाइसेंस (Learning Licence) जारी करने के अधिकार सभी मोटर वाहन डीलरों तथा वाहन चालन प्रशिक्षण संस्थानों को दिये जायेंगे।

128. गैर-परिवहन श्रेणी के दस सीट तक की क्षमता वाले वाहनों जैसे कार, जीप इत्यादि एवं दो पहिया वाहनों का पंजीयन मोटर वाहन डीलर द्वारा किये जाने के प्रावधान को अधिक व्यापक किया जायेगा। इस व्यवस्था में वाहन डीलर द्वारा ही कर राशि जमा करने के पश्चात् पंजीयन प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है एवं वाहन स्वामी को परिवहन कार्यालय नहीं जाना पड़ता है।

129. सुचारू तथा सुलभ परिवहन व्यवस्था उपलब्ध करवाने एवं सड़क

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

दुर्घटनाओं में कमी लाने की दृष्टि से सभी छः संभागीय मुख्यालयों एवं भीलवाड़ा तथा अलवर मुख्यालय के आस-पास विकसित कस्बों को परिवहन सेवाओं के माध्यम से सम्बन्धित मुख्यालयों से जोड़ने के लिए उपनगरीय मार्ग (Suburban Routes) गठित कर इन मार्गों पर संचालित वाहनों के 'ट्रिपों' की संख्या समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

130. सरकार के विभागों तथा संस्थानों में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही एवं संवेदनशीलता विकसित करने और इन प्रवृत्तियों को राजकीय नियमों तथा प्रक्रियाओं से जोड़ने के उद्देश्य से हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान के तत्वाधान में ''सेंटर फॉर गुड गवर्नेन्स (Centre for Good Governance) की स्थापना की जायेगी।

131. मेरा मानना है कि बेहतर नागरिक सेवायें प्रदान करने की दृष्टि से स्थानीय निकायों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाना आवश्यक है। इस हेतु हमने विभिन्न मदों में स्थानीय निकायों को अधिक राशियां उपलब्ध कराना प्रस्तावित किया है। वर्ष 2001-02 से वर्ष 2003-04 की अवधि में पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरपालिकाओं को द्वितीय राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में देय राशि की तुलना में कम राशि का अंतरण हुआ था। अंत: इस कमी की पूर्ति करते हुए चालू वर्ष में पंचायती राज संस्थाओं को 130 करोड़ 40 लाख रुपये जो पिछले वर्ष 36 करोड़ 53 लाख रुपये अधिक हैं, एवं नगरपालिकाओं को 48 करोड़ 94 लाख रुपये जो पिछले वर्ष से 3 करोड़ 94 लाख रुपये अधिक हैं, अनुदान के रूप में उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। नगरपालिकाओं को मनोरंजन कर के हिस्से के रूप में पूर्व वर्षों में राशियां उपलब्ध नहीं करायी गई थी। तुम जो चाहते तो हालात बदल भी सकते थे, तेरे आंसू मेरी आंखों से निकल सकते थे। मगर तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। हमने वर्ष 2001-02 व 2002-03 के पेटे मनोरंजन कर के हिस्से के रूप में गत वर्ष 5 करोड़ 40 लाख रुपये नगरपालिकाओं को उपलब्ध कराये एवं चालू वर्ष में इस मद में 1 करोड़ 55 लाख रूपयों का प्रावधान प्रस्तावित किया है। इसके अतिरिक्त चुंगी के पेटे नगरपालिकाओं को उपलब्ध कराई जा रही क्षति-पूर्ति राशि में पिछले तीन वर्षों में 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की ही बढ़ोतरी की गई थी जबकि हमने इस वर्ष यह

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

बढ़ोतरी 10 प्रतिशत की दर से करने का निर्णय लिया है। नगरपालिकाओं को चुंगी की क्षति-पूर्ति के रूप में इस वर्ष 449 करोड़ 16 लाख रुपये हस्तांतरित किया जाना प्रस्तावित है जो गत वर्ष से 40 करोड़ 83 लाख रुपये अधिक है।

132. पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से संविधान का 73वां संशोधन लागू किया गया। पिछली सरकार द्वारा 16 विषयों से जुडी कुछ गतिविधियां पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित की गई, परन्तु उनके साथ जुड़े फण्ड्स व फंक्शनरीज़ का हस्तांतरण नहीं किया गया, फलस्वरूप उनकी क्रियान्विति नहीं हुई। वर्तमान सरकार का यह मत है कि पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित की जाने वाली गतिविधियां मय फण्ड्स व फंक्शनरीज़ इस प्रकार हस्तांतरित की जायें कि पंचायती राज संस्थायें वास्तविक रूप में स्वयंशासी इकाइयों के रूप में कार्य संपादित कर सकें। इसी दृष्टि से इस विषय पर विस्तार से चर्चा किया जाना आवश्यक है ताकि एक प्रभावशाली कार्ययोजना तैयार कर उसकी क्रियान्विति सुनिश्चित की जा सके।

133. वर्तमान परिवेश में विकास की गति को सतत रूप से बढ़ाते रहने के लिए यह आवश्यक है कि संसाधनों में वृद्धि के साथ-साथ जनभागीदारी एवं निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाये। मेरे द्वारा प्रस्तावित विभिन्न कार्यक्रमों में जनभागीदारी बढ़ाने की नीति दृष्टिगोचर होगी। संसाधनों में वृद्धि के लिये वित्तीय सुधारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। यद्यपि आरंभ में वित्तीय सुधारों को लागू करने से कतिपय स्थितियों में कठिनाइयों की अनुभूति हो सकती है परन्तु इनका प्रभाव दीर्घकालीन होने से अन्ततोगत्वा ये सबके लिये सुखकर सिद्ध होते हैं। राज्य में अपनाये गये एवं प्रस्तावित वित्तीय सुधारों का मैं उल्लेख करना चाहूंगी।

134. वित्तीय प्रबंधन को अधिक विवेकशील बनाने और वित्तीय अनुशासन हेतु राज्य की भूमिका निर्धारित करने की दृष्टि से "वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन विधेयक" (Fiscal Responsibility and Budget Management Bill) भारत सरकार की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है। इस विधेयक के माध्यम से हम 5 से 7 वर्ष की अवधि में राजस्व घाटे को शून्य करने और राजकोषीय घाटे को राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 3.5 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य निर्धारित करेंगे। इसके साथ ही प्रस्तावित विधेयक में गैर-विकासीय व्यय को कम करने के प्रभावी उपायों का भी वर्णन होगा।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

135. ब्याज भुगतान के दायित्व को यथासंभव सीमित करने के उद्देश्य से हमने "डेट-स्वैप" को अधिकाधिक अपनाया है। वित्तीय वर्ष 2003-04 के अंत तक 2 हजार 961 करोड़ 91 लाख रुपये के कम ब्याज दरों पर ऋण लेकर पूर्व वर्षों के अधिक ब्याज दर पर अल्प बचत योजनाओं के अंतर्गत लिये गये ऋणों को चुकाया गया है। इससे राज्य को ब्याज भुगतान में इस वर्ष 198 करोड़ 77 लाख रुपये की बचत हो सकी है। इस वर्ष 30 जून तक 944 करोड़ 18 लाख रूपयों के अल्प बचत के पेटे प्राप्त महंगे ऋणों को "स्वैप" कराया जा चुका है तथा इसके अतिरिक्त वर्ष की शेष अवधि में 1 हजार 974 करोड़ 5 लाख रुपये के महंगे ऋणों को "स्वैप" कराने की योजना है। इससे आगामी वर्ष में ब्याज के पेटे 194 करोड़ रुपये की अतिरिक्त बचत होने का अनुमान है।

136. इसके अतिरिक्त वित्तीय संस्थानों से पूर्व में लिये गये मंहगे ऋणों को वर्तमान में प्रचलित ब्याज दरों के ऋणों से "स्वैप" करने की कार्रवाई की जा रही है। "हाउसिंग डवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन" से 311 करोड़ 6 लाख रुपये के ऋण 11.75 प्रतिशत से 17 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर पूर्व में लिये गये थे। इन ऋणों को 7.75 व 8.25 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर रि-शिड्यूल कराया गया है। इससे इस वर्ष 18 करोड़ 66 लाख रुपये का ब्याज कम देना पड़ेगा। एच.डी.एफ.सी. से प्राप्त यह राशि राज्य कर्मचारियों को भवन निर्माण हेतु अग्रिम दी गई थी अत: ब्याज दरों की कमी का लाभ कर्मचारियों को मिलेगा। अन्य वित्तीय संस्थानों के लगभग 1 हजार करोड़ रुपये के ऋणों को भी इस वर्ष "स्वैप" कराने का लक्ष्य है।

137. गैर-विकासीय व्यय को कम करने की दृष्टि से 1 जनवरी 2004 से भर्ती किये जाने वाले राज्य कर्मचारियों के लिए एक स्व:पोषित पेंशन योजना लागू की गई है। इन कर्मचारियों को अब चिकित्सा सुविधा भी बीमा कंपनियों द्वारा प्रचलित "मेडिक्लेम" योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध कराई जायेगी। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से विभिन्न उद्देश्यों हेतु ऋण उपलब्ध है। इसे दृष्टिगत रखते हुए तथा कर्मचारियों को अधिक सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने कर्मचारियों को ऋण उपलब्ध कराने में "फेसिलीटेटर" की भूमिका निभाने का निर्णय लिया है। पूर्व में कर्मचारियों

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

को अनाज अग्रिम के रूप में केवल 1 हजार 500 रुपये का अल्पावधि ऋण उपलब्ध था। राज्य सरकार ने बैंक के माध्यम से समान ब्याज दर पर विभिन्न उद्देश्यों हेतु 8 हजार रुपये का अल्पावधि ऋण कर्मचारियों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। इसी प्रकार कर्मचारियों को भवन निर्माण हेतु 7.5 प्रतिशत एवं वाहन क्रय हेतु 8.5 प्रतिशत की ब्याज दर पर बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इन व्यवस्थाओं से जहां राज्य सरकार अपने संसाधनों को अन्य विकासीय कार्यों पर व्यय कर सकेगी वहीं कर्मचारियों को भी कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करने एवं लेखे संधारण इत्यादि में सुविधा होगी।

138. माननीय सदस्य इस बात से परिचित हैं कि राज्य में अल्प बचत योजनाओं के अंतर्गत संगृहित शत-प्रतिशत शुद्ध राशि अब राज्यों को ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के अंतर्गत गत वर्ष 4 हजार 125 करोड़ 51 लाख रुपये प्राप्त किये गये जो कि इससे पिछले वर्ष के मुकाबले 21.41 प्रतिशत अधिक है।

139. राज्यों के पास संसाधन सीमित हैं इसलिये संसाधनों में वृद्धि हेतु अधिक से अधिक योजनाओं का पोषण बाह्य सहायता राशि से किया जाना उपयुक्त होता है। राज्य ने गत वर्ष 560 करोड़ 72 लाख रुपये इन योजनाओं के अंतर्गत बाह्य सहायता से प्राप्त किये जबकि वर्ष 2002-03 में यह राशि केवल 273 करोड़ 77 लाख रुपये थी। इसी प्रकार विभिन्न केंद्रीय प्रवर्तित योजनाओं पर वर्ष 2002-03 में 1 हजार 410 करोड़ 6 लाख रुपये के व्यय की तुलना में वर्ष 2003-04 में 1 हजार 791 करोड़ 20 लाख रूपयों का व्यय हुआ जो 27.03 प्रतिशत की वृद्धि इंगित करता है।

140. वर्ष 2003-04 के नवीनतम अनुमानों के अनुसार राजस्व घाटा राजस्व प्राप्तियों के अनुपात के रूप में 22.48 प्रतिशत रहा जबकि इसके पूर्व वर्ष 2002-03 में यह अनुपात 30.07 प्रतिशत था इस प्रकार राजस्व घाटे के राजस्व प्राप्तियों से अनुपात में वर्ष 2003-04 में 7.59 प्रतिशत की कमी आई है। इस वर्ष के परिवर्तित अनुमानों में राजस्व घाटा राजस्व प्राप्तियों का 12.68 प्रतिशत है। वर्ष 2003-04 नें राजस्व घाटे के राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत में 5

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

प्रतिशत से अधिक सुधार होने के फलस्वरूप ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत इस वर्ष राज्य 59 करोड़ 77 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर सकेगा। इसी प्रकार वर्ष 2004-05 के परिवर्तित अनुमानों के अनुसार भी 5 प्रतिशत से अधिक सुधार अपेक्षित है। वर्ष समाप्ति पर वास्तविक आंकड़ों में यह भी सुधार यदि यथावत रहता है तो हम आगामी वर्ष में भी 60 करोड़ 61 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर सकेंगे।

आर्थिक आधारभूत सुविधाओं का विकास

141. किसी भी क्षेत्र के आधारभूत विकास में सड़कों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। सड़कों के विकास से औद्योगिक निवेश बढ़ने एवं कृषि उत्पादों की विपणन सुविधा में वृद्धि होने से क्षेत्र के आर्थिक विकास के साथ-साथ संपर्क सुविधा के विकसित हो जाने से सामाजिक ज़ागरूकता में भी वृद्धि होती है। हमारी सरकार ने अल्पावधि में ही इस बाबत् कुछ महत्तवपूर्ण कदम उठाये हैं। भारत सरकार से आग्रह कर 5 सड़कों, जिनकी कुल लम्बाई 990 किलोमीटर है, को राजमार्ग से राष्ट्रीय राजमार्ग में क्रमोन्नत कर अधिसूचित करवाया है। इसके साथ ही सभी राष्ट्रीय राजमार्गों का पुनरूद्धार करने के लिये 960 करोड़ रुपये की योजना बनाकर केंद्र सरकार को प्रेषित की है।

142. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़क निर्माण में राजस्थान अग्रणी राज्यों में है। इस योजना के अंतर्गत लंबित कार्यों को तत्परता के साथ क्रियान्वित कराया जा रहा है। जिसके परिणामस्वरूप 100 दिवसीय कार्यकारी योजना के दौरान ही 3 हजार 56 किलोमीटर ग्रामीण सड़के निर्मित की जाकर 986 गांवों को सम्पर्क सड़कों से जोड़ दिया गया है। वर्तमान में इसी गति को जारी रखा जा रहा है तथा 1 हजार 343 गांवों को जोड़ने हेतु सड़कों के निर्माण की भारत सरकार से स्वीकृति भी प्राप्त करली गई है एवं इसके अतिरिक्त 780 गांवों को जोड़ने के लिये भी प्रस्ताव भारत सरकार के अधीन विचारार्थ प्रेषित कर दिये गये हैं।

143. राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के कारण सड़कों के निर्माण एवं रख-रखाव के महत्व से यह सदन भलीभांति परिचित है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्रथम वरियता में बारहमासी सड़क से जोड़े जाने वाले कुल 8 हजार 950 ग्रामों में से मार्च 2004 तक 1 हजार 904 ग्रामों को संपर्क

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

सड़कों से जोड़ा जा चुका है शेष 7 हजार 46 ग्रामों को लगभग 23 हजार किलोमीटर बारहमासी डामर सड़क निर्माण कर जोड़ने का कार्य वर्ष 2007 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

144. हमारे सामने 10 हजार 710 किलोमीटर लंबाई के राजमार्गों, 6 हजार 806 किलोमीटर लंबाई की मुख्य जिला सड़कों एवं 18 हजार 790 किलोमीटर लंबाई की अन्य जिला सड़कों को मानक स्तर के अनुसार विकसित करने का कठिन लक्ष्य है। पुल, फ्लाई ओवर्स, बाइपास तथा ओवर ब्रिजेज आदि के निर्माण कार्यों को भी हाथ में लिया जाना है। इस महती योजना को पूरा करने के लिए राजस्थान राज्य सड़क विकास योजना तैयार की जा रही है।

माननीय सदस्यगणों को यह जानकर खुशी होगी कि हमारी सरकार ने 1 हजार 236 किलोमीटर लंबे 4 राजकीय राजमार्गों को उच्च स्तरीय राजमार्गों में विकसित कर उत्तर-दक्षिण अंतरराज्यीय आवागमन सुविधा विकसित करने की योजना पर कार्य प्रारंभ कर दिया है। इन राजमार्गों को राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम, बी.ओ.टी. के माध्यम से विकसित करेगा।

146. राज्य में सड़कों के त्वरित निर्माण और उचित रख-रखाव के लिये हमने ''राजस्थान राज्य सड़क निधि'' नाम से कोष बनाने का निर्णय लिया है। इस निधि के वित्त पोषण हेतु इस सदन में एक बिल प्रस्तुत किया जायेगा।

147. वर्तमान में राज्य के छ: बड़े शहरों में आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु एशियन विकास बैंक के सहयोग से राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना (आर.यू.आई.डी.पी.) चलायी जा रही है जो अब अंतिम चरण में है। इस परियोजना से शहरों में गुणात्मक आधारभूत सुविधाओं के विकास को देखते हुए इसके द्वितीय चरण को हाथ में लेने का निर्णय किया गया है। इसके अंतर्गत 75 हजार से अधिक जनसंख्या वाले एवं पर्यटन तथा धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहरों के लिये आधारभूत सुविधाओं के विकास कार्य कराया जायेगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 900 करोड़ रुपये होगी।

148. राज्य की अधिकांश नगरपालिकायें ऐसी हैं जिनके संसाधन सीमित हैं और वे अपने स्वयं के स्तर से परियोजना तैयार करने, वित्तीय साधन

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

जुटाने एवं उनका क्रियान्वयन करने में असमर्थ है। अतः प्रस्ताव है कि राज्य स्तर पर शहरी स्थानीय निकायों को आधारभूत सुविधाओं के विकास की योजना बनाने एवं वित्तीय साधन जुटाने तथा परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग करने हेतु एक राज्य स्तरीय निगम स्थापित किया जाये। राजस्थान अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस एण्ड डवलपमेंट कॉरपोरेशन (आर.यू.आई.एफ.डी.सी.) के नाम से गठित किये जाने वाले इस निगम में अन्य वित्तीय संस्थानों की भागीदारी भी रहेगी। यह निगम भारत सरकार द्वारा संचालित कतिपय योजनाओं एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को स्थानीय निकायों एवं नगरपालिकाओं के माध्यम से वित्तपोषित एवं क्रियान्वित कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी होगा।

149. अधिकांश शहरी स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के परिणामस्वरूप वे अपेक्षित स्तर की जनोपयोगी सुविधायें नहीं दे पाते हैं जिससे इन निकायों द्वारा लागू करों व सेवा शुल्क की वसूली भी नहीं हो पाती है एवं उनकी आर्थिक स्थिति और भी कमजोर हो जाती है। इस कुचक्र को तोड़ने के लिये एक तरफ जहां प्रस्तावित निगम द्वारा उनको अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध करवाकर अपेक्षित स्तर की सेवाओं के लिये आवश्यक आधारभूत ढांचे के विकास बाबत् मदद की जायेगी वहीं दूसरी तरफ निवासियों की मौहल्लेवार भागीदारी के साथ गुणवत्ता सुविधायें पहुंचाने की व्यवस्था भी की जायेगी। इसके लिये मौहल्लेवार समितियां गठित की जायेंगी एंव इनके पंजीकरण की सरल व्यवस्था भी की जायेगी। ये समितियां शहरी क्षेत्रों में सेवायें उपलब्ध कराने वाली सभी राजकीय संस्थाओं से समन्वय स्थापित करेंगी जिससे सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि सुनिश्चित की जा सके।

150. स्वायत्त शासन विभाग शहरी सेवाओं के लिये मानक स्थापित किये जायेंगे एवं मौहल्लेवार समितियों के साथ परामर्श कर मानक स्तर की सेवाओं हेतु क्षेत्रवार शुल्क निर्धारण की व्यवस्था की जायेगी। मौहल्लेवार समितियों को ये अधिकार भी दिये जायेंगे कि ये अपने मौहल्ले में स्थानीय निवासियों की सहमति से निर्धारित मानक से बेहतर स्तर की सेवायें उपलब्ध कराने के लिये अतिरिक्त शुल्क प्राप्त कर व्यवस्था कर सकेंगी।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

151. राज्य के तीव्र आर्थिक विकास हेतु बिजली की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। अतः राज्य को ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना हमारी प्राथमिकता होगी। राज्य में ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाने की दृष्टि से इस वर्ष 50 करोड़ रुपये का निवेश लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना गिराल तथा 120 करोड़ रुपये का निवेश गैस थर्मल परियोजना धौलपुर में किया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2003-04 के अंत में स्थापित 5 हजार 166 मेगावाट विद्युत उत्पादन के अतिरिक्त इस वर्ष राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा स्थापित परियोजनाओं से 230 मेगावाट तथा राज्य में स्थापित हो रही पवन ऊर्जा परियोजनाओं से 135 मेगावाट विद्युत प्राप्त कर उपलब्धता को बढ़ाया जायेगा।

152. उत्पादित ऊर्जा को यथासंभव कम कीमत में उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिये प्रसारण तंत्र का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। इस हेतु 400 के.वी.जयपुर-मेड़ता-जोधपुर लाइन का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त 400 के.वी. रतनगढ़-मेड़ता लिंक लाइन तथा 220 के.वी. के 4 एवं 132 के.वी. के 12 नये ग्रिड स्टेशन स्थापित करना प्रस्तावित है।

153. विद्युत वितरण में "टी एण्ड डी लासेज" में कमी लाने की दृष्टि से फीडर रिनोवेशन कार्यक्रम को हाथ में लिया जा रहा है जिसके अंतर्गत चरणबद्ध रूप से लगभग सभी 6 हजार ग्रामीण फीडरों को पुनरूद्धार किया जाना प्रस्तावित है। इससे वर्तमान में इन फीडरों पर हो रहे "टी एण्ड डी. लासेज" को कम किया जाकर 25 प्रतिशत के स्तर पर लाया जायेगा। इससे ग्रामीण उपभोक्ताओं को दी जाने वाली विद्युत की आपूर्ति की विश्वसनीयता एवं गुणवत्ता में सुधार होगा, ट्रांसफार्मरों के जलने की घटनाओं में कमी आयेगी तथा ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को काफी अधिक संख्या में नये कनेक्शन उपलब्ध कराये जा सकेंगे। चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 600 फीडरों के रिनोवेशन का कार्य हाथ में लिया जा रहा है।

154. राजस्थान के जल संसाधन अत्यंत सीमित हैं। उपलब्ध सतही जल संसाधन देश के कुल सतही जल संसाधनों का 1.16 प्रतिशत भू-जल का 1.72 प्रतिशत है। राज्य में भू-जल का लगातार गिरता स्तर गंभीर चिंता का विषय

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

है। जहां वर्ष 1984 में भू-जल के पुनर्भरण का दोहन स्तर 35 प्रतिशत था वहीं वर्ष 2001 में यह बढ़कर 104 प्रतिशत तक हो गया। वर्ष 1984 में ऐसी पंचायत समितियों की संख्या 12 से बढ़कर वर्ष 2001 में 86 हो गई जहां जल का अत्यधिक दोहन हो रहा था। हमारा यह प्रयास होगा कि सतही जल का उपयोग बढ़े तथा भू-जल की गुणवत्ता में सुधार हो। जल उपलब्धि बढ़ाने तथा भू-जल के रिचार्ज हेतु "वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स" के निर्माण को प्राथमिकता दी जायेगी। वाटर शैड डवलपमेंट राज्य के लिये एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है तथा इसके क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। हमारा मानना है कि जल संसाधन सम्बन्धित विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं में बेहतर समन्वय तथा सभी सम्बन्धित पक्षों की भागीदारी से जल प्रबन्धन में अवश्य ही सुधार होगा।

155. जल संसाधनों की वृद्धि हेतु सरकार का यह प्रयास होगा कि निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण किया जायें तथा नई परियोजनाओं हेतु सर्वे एवं केन्द्रीय जल आयोग की शीघ्र स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाही की जाये। इससे राज्य के कृषि एवं आर्थिक विकास को बल मिलेगा, पेयजल एवं कृषि हेतु भू-जल निर्भरता घटेगी तथा कमाण्ड एरिया के भू-जल के एरिया में वृद्धि होगी।

156. चालू वर्ष में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं हेतु 695 करोड़ 54 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है इस प्रावधान में 100 करोड़ रुपये नर्मदा परियोजना, 50 करोड़ रुपये माही परियोजना, 72 करोड़ रुपये गंगनहर आधुनिकीकरण परियोजना एवं 55 करोड़ रुपये बीसलपुर परियोजना के लिये शामिल है। इसके अतिरिक्त इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर 177 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इस वर्ष 1 लाख 15 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा सकेगी जबकि पिछले वर्ष की कुल उपलब्धि 75 हजार हैक्टेयर रही है। वर्तमान में 7 वृहद्, 7 मध्यम एवं 140 लघु सिंचाई परियोजनायें निर्माणाधीन हैं। छापी, पांचना एवं बेथली मध्यम तथा 35 लघु सिंचाई परियोजनायें चालू वर्ष में पूर्ण की जायेंगी। नर्मदा एवं इंदिरा गांधी नहर को छोड़कर बाकी निर्माणाधीन सभी वृहद् एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को आगामी 5 वर्षों में पूर्ण किये जाने का कार्यक्रम बनाया गया है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

157. इंदिरा गांधी नहर परियोजना एवं नर्मदा परियोजना हेतु भारत सरकार से अतिरिक्त सहायता प्राप्त कर आगामी चार वर्षों में इन्हें पूर्ण करने के प्रयास किये जा रहे हैं। भारत सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्री महोदय ने अंतरिम बजट 2004-05 प्रस्तुत करते समय घोषणा की थी कि इन परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने हेतु केन्द्र व राज्य द्वारा संयुक्त पहल की जायेगी। मुझे आशा है कि भारत सरकार का हमें पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा।

158. उपलब्ध जल के बेहतर उपयोग हेतु पुरानी नहर प्रणालियों का उचित रख-रखाव एवं जल के रिवास को कम करना आवश्यक है। इस हेतु विश्व बैंक पोषित राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना के अंतर्गत 91 नहर प्रणालियों पर कार्य प्रगति पर है। गत वित्तीय वर्ष 2003-04 में इस परियोजना पर 56 करोड़ रुपये व्यय किये गये। इस वर्ष इस परियोजना हेतु 120 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। बनास नदी पर ईसरदा बांध बनाया जाना प्रस्तावित है। उक्त बांध के ''काफर डैम'' का कार्य इस वर्ष प्रारम्भ किये जाने हेतु 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

159. सेम की समस्या एक जटिल समस्या है। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में इसके गहन अध्ययन हेतु एक तकनीकी दल का गठन किया गया है। विशेषज्ञों की राय के आधार पर इस समस्या के निवारण का कार्यक्रम बनाया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार वित्तीय प्रावधान किया जायेगा।

160. लघु सिंचाई परियोजनाओं द्वारा कम समय तथा कम लागत में राज्य के विस्तृत क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार संभव है। इसके साथ ही भू-जल के गिरते स्तर को देखते हुए जल संरक्षण कार्यों को बड़े पैमाने पर प्रारम्भ किया जाना आवश्यक है। अतः लघु सिंचाई परियोजनाओं पर गत वर्ष व्यय किये गये 55 करोड़ 70 लाख रुपये के मुकाबले इस वर्ष लघु सिंचाई एवं वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स पर 217 करोड़ रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है। वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के कार्यों में मुख्य कार्य एनिकट्स, सब-सर्फेस बेरियर्स, चैक-डैम, ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर्स, टैंक, खड़ीन इत्यादि होंगे। इसके निर्माण से भू-जल रिचार्ज वृद्धि के साथ ही मानव तथा पशु-पक्षियों के लिये अतिरिक्त जल उपलब्ध हो सकेगा।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

161. इस वर्ष सिंचित क्षेत्र विकास कार्यों के लिये 50 करोड़ 34 लाख रुपये का प्रावधान कर 71 हजार 500 हैक्टेयर क्षेत्र में खालों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। पिछले वर्ष इस मद में 37 करोड़ 33 लाख रुपये व्यय कर 34 हजार 36 हैक्टेयर क्षेत्र में खालों का निर्माण किया गया था। इस वर्ष सिद्धमुख नहर परियोजना पर भी सिंचित क्षेत्र विकास कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। भारत सरकार द्वारा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यों हेतु चलायी जा रही योजनाओं में इस वर्ष से 10 प्रतिशत राशि कृषकों से सहभागिता के रूप में प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है।

162. जल के सीमित साधन, वर्षा की कमी, बढ़ती मांग,गिरता हुआ भू-जल स्तर तथा राज्य के काफी बड़े क्षेत्र के भू-जल में फ्लोराइड, नाइट्रेट, टीडीएस, खारापन इत्यादि का अधिक होना पेयजल समस्या के प्रमुख कारण हैं। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहती हूं कि राज्य सरकार पेयजल की समस्या के समाधान हेतु कृतसंकल्प है। भू-जल की गुणवत्ता में सुधार, सतही जलों का पेयजल हेतु अधिकाधिक उपयोग, भू-जल को रिचार्ज करना, कुशल प्रबन्धन एवं जन-सहभागिता हमारी प्राथमिकता होगी। इसके साथ पेयजल योजनाओं का विस्तार एवं सुदृढिकरण तथा सेवा स्तर में सुधार करने पर भी ध्यान दिया जायेगा। फ्लोराइड की समस्या पर नियंत्रण के उद्देश्य से राज्य सरकार ने "इंटिग्रेटेड फ्लोराइड मिटिगेशन प्रोग्राम" (Integrated Fluoride Mitigation Programme) का क्रियान्वयन करने का निर्णय लिया है। कार्यक्रम के प्रथम चरण में राज्य के 2 हजार 643 ऐसे गांवों व ढाणियों को शामिल किया जायेगा जहां फ्लोराइड की मात्रा 5 पीपीएम से अधिक है। फ्लाराइड प्रभावति क्षेत्रों के लिये सतही पानी से पेयजल उपलब्ध कराने की योजनायें प्रगति पर है। अजमेर जिले की फ्लोराइड कंट्रोल परियोजना के लिये इस वर्ष 26 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। भिनाय व मसूदा तहसीलों के 232 गावों के लिए मुख्य पाइप लाइन डालने का कार्य दिसंबर 2005 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। दूदू-बीसलपुर परियोजना का कार्य इस वर्ष शुरू किया जाना प्रस्तावित है। ईसरदा बांध के पूर्ण होने से पेयजल समस्या से ग्रसित क्षेत्रों को लाभन्वित किया जा सकेगा।

163. जयपुर शहर के लिये बीसलपुर बांध आधारित परियोजना हेतु जे.बी.आई.सी. से 342 करोड़ 50 लाख रुपये की तथा हुडकों से 400 करोड़

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

रुपये की स्वीकृति मिल चुकी है। एशियन विकास बैंक से 270 करोड़ रुपये की स्वीकृति संभावित है। परियोजना को इस वर्ष शुरू करने हेतु 59 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। जल संसाधन से सम्बन्धित योजनाओं को त्वरित गति से पूरा करने के उद्देश्य से भीलवाड़ा-कांकरोलिया घाटी योजना, चूरू-बिसाऊ परियोजना, आरजीएलसी (द्वितीय चरण) जोधपुर योजना तथा उदयपुर की मानसी वाकल परियोजना को इसी वित्तीय वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य है। उदयपुर में जल उपलब्धि बढ़ाने के लिये देवास-II बांध परियोजना का सर्वे कार्य प्रगति पर है। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इस परियोजना का परीक्षण कर अग्रिम कार्रवाई की जायेगी।

164. 31 मार्च, 2004 तक राज्य की कुल 93 हजार 946 हैबीटेशंस में से 90 हजार 972 हैबीटेंशस को जल प्रदाय योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित किया जा चुका है। इस वर्ष 1 हजार हैबीटेशंस को लाभान्वित किया जायेगा तथा आंशिक रूप से लाभान्वित 8 हजार हैबीटेशंस में पेयजल की अतिरिक्त व्यवस्था की जायेगी। स्व: जल धारा योजना में अभी तक 1 हजार 934 योजनायें, 73 करोड़ 99 लाख रुपये लागत की स्वीकृत की जा चुकी है जिनमें से 465 योजनाओं पर कार्य पूर्ण हो चुके हैं। राज्य के 21 कस्बों में जल संवर्द्धन योजनाओं के अंतर्गत कार्य प्रगति पर है और 10 कस्बों के लिये भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। इससे इन कस्बों में जल आपूर्ति में सुधार होगा।

165. जल प्रदाय योजनाओं में "आपणी योजना" की प्रणाली काफी सफल सिद्ध हुई है। यह योजना राज्य के चूरू व हनुमानगढ़ जिलों के 335 गाँवों में चल रही है तथा इसके अंतर्गत मुख्य पाइप लाइन का संधारण सरकार करती है, परन्तु गाँवों के अंदर के सिस्टम का रख-रखाव एवं संधारण जन-समूह द्वारा किया जाता है। इस योजना क्षेत्र में पानी की फिजूलखरची एवं बरबादी पर काफी नियंत्रण हुआ है। योजना की सफलता राज्य सरकार, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं ग्रामवासियों के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि जन-सहभागिता के आधार पर जल प्रबन्धन की अवधारणा को राज्य में अधिकाधिक क्षेत्रों में प्रचलित करने में अपना सहयोग दें।

<u>कर प्रस्ताव</u>

166. अब मैं माननीय सदस्यों द्वारा उत्सुकता से प्रतीक्षित बजट के कर प्रस्तावों का उल्लेख करूंगी।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

167. मुझे सदन को यह अवगत कराने में प्रसन्नता हो रही है कि राजस्व अर्जन की दृष्टि से गत वर्ष 2003-2004 हमारे लिये एक अच्छा वर्ष रहा है। राज्य के राजस्व संग्रहण में आशानुरूप वृद्धि हुई जबकि हमारी सरकार द्वारा जनता पर न तो नये करों का बोझ डाला गया और न ही करों की दरों में वृद्धि की गई। यह उपलब्धि बेहतर कर प्रशासन, व्यवहारियों के प्रति विश्वास भाव एवं कर्मचारियों तथा अधिकारियों की मेहनत का प्रतिफल है।

168. मैं कर प्रशासन के सरलीकरण में विश्वास रखती हूं। वर्तमान में बिक्री कर के अलावा सरचार्ज, टर्नओवर टैक्स एवं प्रवेश कर व्यवहारियों से एकत्रित किया जा रहा है। विभिन्न नामों से लागू करों का हिसाब रखना और आम जनता से विभिन्न मदों में कर को एकत्रित करना एक जटिल प्रक्रिया है। अतः करारोपण को सरल बनाने के लिए, सरचार्ज तथा टर्नओवर टैक्स को समाप्त किया जाना प्रस्तावित. है। टैक्सटाइल, पेट्रोल तथा डीजल (ईंधन के रूप में प्रयोग को छोड़कर) पर लागू प्रवेश कर को भी समाप्त किया जाना प्रस्तावित है।

169. सरचार्ज एवं टर्नओवर टैक्स की समाप्ति के पश्चात् बिक्री कर दरों का पुनर्निर्धारण इस प्रकार से किया जाना प्रस्तावित है:-

वर्तमान में अधिसूचित सरचार्ज सहित दरें	प्रस्तावित दरें
1.15%	1%
2.3%	2%
4.6%	4% या 5%
6.9%	7%
9.2%	9%
11.5%	12%
13.8%	14%
18.4%	19%
20.7%	20%
23%	20%
28.75%	20%
34.5%	35%
49.45%	50%

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

यहां मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि मैंने जिन टैक्स स्लेब्स के सन्दर्भ में नई दरें प्रस्तावित की है उनमें टर्नओवर टैक्स का अंश शामिल नहीं है इसके बावजूद भी बिक्री कर की दरों का पुनर्निर्धारण करते समय यथासंभव प्रस्तावित दरें विद्यमान दरों से नीचे वाले स्लैब पर रखी गई है। हमारा मानना है कि दरों के इस सुसंगतिकरण से आम उपभोक्ता को राहत मिलेगी, व्यवहारियों को हिसाब रखने में आसानी होगी और राज्य का कर प्रबन्धन बेहतर होगा।

170. वर्तमान में कच्चे माल पर 3 प्रतिशत बिक्री कर, 15 प्रतिशत सरचार्ज एवं टर्नओवर टैक्स अधिरोपित किया जा रहा है। इससे कच्चे माल पर कर की दर 3.45 प्रतिशत से अधिक हो जाती है। अतः राजस्थान के उद्योग और व्यापार को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिये कच्चे माल पर (एलएनजी को छोड़कर) बिक्री कर की दर को घटाकर 3 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है। इससे राज्य के उद्यमियों को राहत मिलेगी, राज्य के उद्योग प्रतिस्पर्धा में ठहर सकेंगे और अधिक रोजगार सृजन संभव होगा।

171. डीजल पर लागू सरचार्ज, टर्नओवर टैक्स एवं प्रवेश कर (ईंधन के रूप में प्रयोग को छोड़कर) को समाप्त कर अब इस पर 20 प्रतिशत बिक्री कर लगाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार पेट्रोल पर भी लागू सरचार्ज, टर्नओवर टैक्स एवं प्रवेश कर को समाप्त करना एवं इस पर 28 प्रतिशत बिक्री कर लगाना प्रस्तावित है। यह सुनिश्चित किया गया है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कर की नई दरों के कारण कोई वृद्धि नहीं हो।

172. नई बिक्री कर की दरों को निर्धारित करते समय कर दरों को युक्तिसंगत बनाने का प्रयास किया गया है। इसको तत्काल प्रभाव से क्रियान्वित करने के लिए मैं, विक्रय कर की दरों को पुनः अधिसूचित करना प्रस्तावित करती हूं। इस प्रक्रिया में कुछ वस्तुओं की कर दरों में मामूली परिवर्तन किया गया है। मैं इन्हें उद्धत कर सदन का समय नहीं लेना चाहती हूं।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

173. मैं प्रवेश कर के अधिरोपरण में आमूल चूल परिवर्तन प्रस्तावित करती हूं ताकि व्यवहारी दोहरे करारोपण से बच सकें। नई व्यवस्था में केवल निम्न तीन श्रेणियों पर प्रवेश कर रखा जाना प्रस्तावित है यथा

(1) अतिरिक्त उत्पाद शुल्क आरोपित वस्तुएं

(2) औद्योगिक इकाइयों द्वारा उपयोग में लिये जाने वाले ईंधन

(3) राज्य के उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने के लिए

जिन वस्तुओं पर राज्य में बिक्री कर अदा कर दिया जाएगा वे प्रवेश कर से मुक्त होंगी।

174. व्यवहारियों पर लगने वाले विभिन्न करों के सुसंगतिकरण के पश्चात कर प्रणाली में व्यापक सुधार हेतु मैं निम्न उपाय प्रस्तावित करती हूं :-

(i) वर्तमान में राज्य के व्यवहारियों को स्वकर निर्धारण प्रक्रिया के अन्तर्गत फार्म 5-ए अथवा 5-बी या 5-सी भर कर जमा कराना पड़ता है। ये फॉर्म्स बहुत लम्बे एवं क्लिष्ट हैं। अतः वार्षिक विवरणी के इन फार्मों को छोटा एवं सरल बनाया गया है जिससे व्यवहारी स्वयं ही इनको भरकर प्रस्तुत कर सकेंगे एवं प्रस्तुतीकरण की पावती को ही कर निर्धारण माना जायेगा। इन में से अधिकतम पांच प्रतिशत व्यवहारियों के खातों की 'रैण्डम सेम्पल' के आधार पर चैकिंग की जा सकेगी। ऐसे व्यवहारियों की कोई जांच पड़ताल बिना उपायुक्त (प्रशासन) की लिखित अनुमति के नहीं की जा सकेगी। इससे सही मायने में स्वकर निर्धारण प्रणाली लागू होगी।

(ii)नियमित रूप से कर जमा कराने वाले ऐसे व्यवसायी जिनके विरूद्ध किसी प्रकार की बकाया मांग नहीं है तथा जो गत वर्ष से कम से कम 16 प्रतिशत अधिक कर जमा करा रहे हैं एवं जिनके विरूद्ध कर चोरी का कोई प्रकरण लम्बित नहीं है, ऐसे व्यवहारियों के लिए "गोल्ड कार्ड योजना" प्रस्तावित है। 'गोल्ड कार्ड' धारक व्यवहारियों को सभी विभागीय कार्यों में विशेष सुविधा प्रदान की जायेगी एवं अधिकतम कर जमा कराने वाले पांच व्यवहारियों का अभिनन्दन भी किया जायेगा। इस योजना में आने वाले

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

व्यवहारियों की कोई जांच पड़ताल आयुक्त की लिखित अनुमति के बिना विभाग के अधिकारियों द्वारा किसी भी परिस्थिति में नहीं की जायेगी।

(iii) वाणिज्यिक कर विभाग में, लगभग पन्द्रह हजार अपीलें लम्बित है। इन अपीलों के शीघ्र निस्तारण हेतु सरकार द्वारा अतिरिक्त पदों का सृजन किया जा कर अधिकारियों की नियुक्ति की जा चुकी है। प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु विभाग द्वारा अभियान चलाया जाकर आगामी दो वर्षों में वर्तमान में अपील में लम्बित प्रकरणों का निस्तारण कर दिया जायेगा। इससे मुकदमों की संख्या कम होगी और राज्य को प्रकरणों में निहित राजस्व की प्राप्ति भी होगी।

(iv) विभिन्न न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु नई एमनेस्टी योजना लागू किया जाना प्रस्तावित है। जिन प्रकरणों में व्यवसायी द्वारा न्यायालय से अपील वापस ली जाती है, उनमे ब्याज एवं शास्ति माफ कर दी जायेगी तथा मूल कर को तीन वर्षों में किश्तों में जमा कराये जाने की सुविधा दी जायेगी। नई एमनेस्टी योजना में व्यवसायी द्वारा प्रथम स्तर पर लंबित अपील को वापस नहीं लिये जाने पर भी लाभ दिया जाना प्रस्तावित है। ऐसे प्रकरणों में व्यवसायी द्वारा मूल कर जमा कराये जाने पर ब्याज एवं शास्ति माफ कर दी जायेगी। जिन प्रकरणों में विभाग द्वारा अपील अथवा रिवीजन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है उन पर भी यह योजना लागू किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना से मुकदमों की संख्या में कमी आयेगी, करदाताओं को राहत मिलेगी एवं सरकार को अवरूद्ध राजस्व की प्राप्ति होगी।

(v) व्यवहारियों को विभिन्न प्रकार के घोषणा पत्र विभाग में जमा कराने होते है। दिनांक 31 मार्च, 2004 तक किये गये कर निर्धारण के बकाया घोषणा पत्रों को प्रस्तुत करने की समय सीमा को 31 दिसम्बर, 2004 तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। इससे व्यवहारियों को बड़ी भारी राहत मिलेगी।

(vi) करदाताओं द्वारा देय कर से ज्यादा कर जमा कराने पर वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उन्हें सामान्यतया 'रिफण्ड एडजेस्टमेंस्ट वाउचर' जारी किया जाता है जिसमें अंकित राशि का समायोजन देय कर में किया जाता है। जिन

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

व्यवहारियों की कर देयता कम होती है उन्हें जारी 'रिफण्ड एडजेस्टमेन्ट वाउचर' के समायोजन में काफी समय लगता है। अतः विभाग को निर्देशित किया जा रहा है कि भविष्य में 'रिफण्ड एडजेस्टमेंट वाउचर' जारी करने के बजाय रिफण्ड आदेश जारी किया जाये जिससे कि व्यवहारी को रिफण्ड की राशि का भुगतान शीघ्र मिल सके।

(vii) ब्याज दरों में गत वर्षों में हो रही कमी को देखते हुए बिक्री कर विलम्ब से जमा कराने पर व्यवहारियों द्वारा देय वर्तमान ब्याज की दर को 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार व्यवहारियों को रिफण्ड के समय दिये जाने वाले ब्याज को भी 8 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत किया जा रहा है।

(viii) व्यवसाय के स्थान परिवर्तन के प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में विलम्ब होने से व्यवहारियों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस समस्या के निराकरण के लिए सम्बन्धित अधिकारी द्वारा साठ दिनों में प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना आवश्यक किया जा रहा है । साठ दिनों के बाद भी आदेश जारी नहीं होने की दशा में 'डीम्ड ट्रांसफर' माना जायेगा।

(ix) 'एक्स पार्टी एसेसमेन्ट' के पश्चात् पुनः कर के निर्धारण हेतु उपायुक्त (प्रशासन) द्वारा जारी आदेश के विरूद्ध अपील नहीं की जा सकती है। ऐसे आदेशों के विरूद्ध प्रभावित व्यवहारी वर्तमान में केवल उच्च न्यायालय में ही रिट कर सकता है। अतः मैं इन व्यवहारियों की सुविधा के लिए कर बोर्ड में अपील की व्यवस्था प्रस्तावित कर रही हूं।

(x) क्षेत्रीय स्तर पर करदाताओं की शिकायतों के निवारण के लिए गठित शिकायत निवारण समितियों को और सक्रिय किया जायेगा। इससे व्यवहारियों की कठिनाइयों का समाधान होगा और स्थानीय समस्याओं का निवारण हो सकेगा। इन समितियों की बैठकों में आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग भी भाग लेंगे।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

(xi) व्यवहारियों की सुविधा और 'इन्सपेक्टर राज' को समाप्त करने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा पूर्व में कतिपय प्रशमन योजनायें (कम्पोजीशन स्कीम्स) अधिसूचित की हुई है। प्रचलित प्रशमन योजनाओं का अधिक से अधिक व्यवहारी लाभ उठा सकें इसके लिए विभिन्न प्रशमन योजनाओं को अपनाने हेतु करदाताओं को एक और अवसर 30 सितम्बर 2004 तक दिया जाना प्रस्तावित है। ऐसे करदाताओं से कोई ब्याज एवं शास्ति भी नहीं ली जायेगी। आशा की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा व्यवहारी इसका लाभ उठायेंगे।

(xii) जयपुर स्वर्ण, जेवरात तथा रंगीन पत्थरों की मंडी के रूप में उभरा है। पिछले कुछ समय से पड़ोसी राज्यों की कर नीति के कारण जयपुर से बुलियन का व्यापार अन्यत्र चला गया है। मैं पुनः जयपुर को न केवल देश की बल्कि विश्व की सबसे बड़ी स्वर्ण एवं जेवरात की मंडी के रूप में देखना चाहती हूं। अतः वर्तमान में चालू सर्राफा की प्रशमन योजना में बुलियन को भी जोड़ते हुए एक नई प्रशमन योजना बुलियन व सर्राफा के लिए प्रस्तावित करती हूं। मुझे आशा है कि जयपुर पुनः बुलियन व्यापार का प्रमुख केन्द्र बनेगा।

(xiii) राजस्थान देश में जेम्स और ज्वैलरी के प्रमुख निर्यात केन्द्र के रूप में उभरा है। निर्यात को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए इस सेक्टर हेतु घोषित प्रशमन योजना में वांछित परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित है।

(xiv) गिट्टी के व्यवहारियों को सुविधा देने के उद्देश्य से पत्थरों की क्रशिंग के लिए भी एक नई स्टोन क्रशर प्रशमन योजना लागू किया जाना प्रस्तावित है।

175. कृषक हमारी अर्थव्यवस्था के आधार स्तम्भ है। इनको राहत देने के लिए मैं निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं।

(i) खल एवं तेल रहित खल को पूर्णतया कर मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

(ii) इसबगोल एवं जीरे पर लगने वाले मंडी शुल्क को 1.6 प्रतिशत से घटाकर 0.5 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है। इससे राजस्थान में इन उत्पादों की मंडियों को विकसित होने में सहायता मिलेगी।

(iii) वाटर पम्प सेटों एवं आयल इंजनों पर वर्तमान कर दर को 8 प्रतिशत से घटाया जाकर 4 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

(iv) सबमर्सिबल पम्प सेटों एवं उनके पुर्जों पर वर्तमान कर दर को 10 प्रतिशत से घटाया जाकर 4 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

(v) डीजल पम्पसेट में काम में लिये जाने वाले लाइट डीजल आइल पर प्रवेश कर की दर को 4 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

(vi) जिप्सम पर लगने वाले कर को 10 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है। इससे खेती में मिट्टी की क्षारीयता को कम करने में ज्प्सिम का उपयोग बढा।

(vii) रासायनिक खादों और कीटनाशक दवाओं पर वर्तमान में कर की दर को, जो अधिभार सहित 4.6 प्रतिशत है, तथा जिस पर टर्नओवर टैक्स अतिरिक्त लगता है, को घटाकर 4 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

(viii) अच्छी गुणवत्ता के बीजों के उपयोग को प्रोत्साहन देने हेतु प्रमाणित बीज पहले से ही कर मुक्त है, अब सत्यचिन्हित बीजों पर लागू बिक्रि कर को भी समाप्त किया जाना प्रस्तावित है। इससे राज्य में अच्छे बीजों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।

(ix) ढेंचा बीज को कर से मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

(x) कच्ची ऊन, वूल वेस्ट एवं वूल टोप्स पर कर की दर को 4.6 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

(xi) हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, बीकानेर एवं जैसलमेर जिलों में सिंचाई कर (आबियाना) की वसूली 30 जून, 2004 तक स्थगित थी। इन चारों जिलों में

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

वर्ष 2001-2002 तथा 2002-2003 के रबी एवं खरीफ फसलों के बकाया सिंचाई कर (आबियाना) को माफ किया जाना प्रस्तावित है।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा) : बांसवांड़ा को लिया जाए। बांसवाड़ा और डूंगरपुर को भी लिया जाए। बांसवाड़ा और डूंगरपुर की भी घोषणा करें। (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे : अब महिलाओं की बात आने दो, प्लीज।

श्री अध्यक्ष : शांत रहकर पूरा बजट भाषण तो सुनिये।

श्रीमती वसुन्धरा राजे :

176. गृहणियों को अपने घर के खर्च को संतुलित रखने में मदद देने हेतु मैं निम्न कर राहत देना प्रस्तावित करती हूं :-

(i) किराना, सूखे मेवे और बेबी फूड की कर दरें जो सरचार्ज सहित 4.6 प्रतिशत है तथा जिन पर टर्नओवर टैक्स अतिरिक्त है, को घटाकर 4 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

(ii) सिलाईमशीनों पर कर की दर को 8 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

(iii) तरल पेय जैस फलों का शरबत एवं रस, जैम चटनी, मुरब्बा, और पैक किये हुये मसालों पर प्रभारित कर दर को 18.4 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

(iv) घरेलू गैस पर अधिभार, टर्नओवर टैक्स एवं प्रवेश कर को समाप्त कर इस पर 14 प्रतिशत बिक्री कर लगाना प्रस्तावित है। इससे घरेलू गैस की कीमतों में प्रति सिलेण्डर 3 रुपये से अधिक की कमी होगी।

(v) मिट्टी के तेल पर अधिभार, टर्नओवर टैक्स एवं प्रवेश कर को समाप्त कर विक्रय कर की दर को घटाकर 9 प्रतिशत करना प्रस्तावित है। इससे मिट्टी के तेल की कीमतों में प्रति लीटर 15 पैसे की कमी होगी।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

(vi) खील एवं मुरमुरा जो वर्तमान में 4.6 प्रतिशत से कर योग्य है, को कर मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

औद्योगिक विकास एवं निर्यात प्रोत्साहन

177. उद्योग एवं निर्यात को प्रोत्साहन देने एवं अतिरिक्त रोजगार सृजन हेतु मेरे निम्न प्रस्ताव हैं :-

(i) उद्योगों में आधुनिकीकरण एवं नये उद्योगों की स्थापना हेतु प्लांट एवं मशीनरी के क्रय पर लगने वाले कर को पूर्णतया समाप्त किया जाना प्रस्तावित है। अनुसंधान एवं विकास हेतु लगने वाली प्रयोगशालाओं में काम में आने वाले उपकरणों पर लगने वाले कर को भी पूर्णतया समाप्त किया जाना प्रस्तावित है।

(ii) राजस्थान में गत वर्षों में कपड़ा-उद्योग उभर कर सामने आया है। कपड़े पर 1.5 प्रतिशत प्रवेश कर प्रभार है श्रम गहन कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कपड़े को प्रवेश कर से पूर्णतया मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

(iii) प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स कुछ उद्योगों का कच्चा माल है। इस पर प्रभारित केन्द्रीय बिक्री कर की दर को 2 प्रतिशत से आधा प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है ताकि यह उत्पाद अन्य प्रदेशों के उत्पादों से प्रतिस्पर्धा कर सके।

(iv) राजस्थान में हेण्डपम्प निर्माण का उद्योग धीरे-धीरे बढ़ रहा है। राजस्थान में निर्मित हेण्डपम्पों की बिक्री को अन्य राज्यों में प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्रीय बिक्री कर की दर को 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ हैण्डपम्प एवं उसके पुर्जों पर बिक्री कर की दर 10 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

(v) बिजली के तार एवं केबल्स के उद्योग पर भी केन्द्रीय बिक्री कर को घटा कर 4 प्रतिशत से 1 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार से कास्टिंग आइटम्स पर प्रभारित केन्द्रीय बिक्री कर को भी 4 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है। इससे राज्य में उत्पादित माल अन्तरराज्यीय स्पर्धा करने में सक्षम हो सकेंगे।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

(vi) चेजा पत्थर, मार्बल, लाइम स्टोन इत्यादि के खनन से कई जिलों में खान के मलबों के पहाड़ बन गये हैं तथा इनसे गम्भीर प्रदूषण की समस्या पैदा हो गयी है। खान के मिनरल वेस्ट और प्रोसेसिंग से उत्पन्न वेस्ट के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उनसे उत्पादित वस्तुओं को कर से पूर्ण राहत दिया जाना प्रस्तावित है।

(vii) विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में प्रयुक्त ईंधनों पर भिन्न-भिन्न दरों से प्रवेश कर प्रभारित है। अंतः सभी प्रकार के ईंधनों पर (एल.एन.जी.को छोड़कर) 3 प्रतिशत प्रवेश कर लगाया जाना प्रस्तावित है। क्रय किये गये ईंधन पर यदि राज्य में बिक्री कर चुका दिया गया है तो प्रवेश कर माफ कर दिया जायेगा।

(viii) राजस्थान के उद्योगों को संरक्षण देने के लिए और उन्हें आयातित उत्पादों की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए विस्फोटकों, ए.सी. प्रेशर पाइप, ए.सी.एस.आर. कन्डक्टर और ट्रांस्फारमर्स पर 4 प्रतिशत प्रवेश कर लगाया जाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार से आयरन और स्टील इन्गट्स, एच.डी.पी.ई. बैग्स, प्लास्टिक के बुने हुये बोरे और खाली टीन के कनस्तर पर भी 4 प्रतिशत प्रवेश कर प्रभारित किया जाना प्रस्तावित है।

(ix) वर्तमान में सभी प्रकार के कागज पर प्रवेश कर लिया जाता है, इससे खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एवं कमीशन में पंजीकृत इकाइयों पर कर का भार पड़ रहा है। अंतः इन इकाइयों द्वारा प्रयुक्त कागज को प्रवेश कर से मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

(x) राजस्थान निवेश नीति 2003 के अन्तर्गत वर्तमान में लाभ प्राप्त किये जाने हेतु यह आवश्यक है कि सम्बन्धित इकाई 50 लाख रुपये का ऋण अथवा 25 लाख रुपये भूमि एवं भवन में निवेश करे। इस सीमा के कारण 'टाइनी' एवं 'छोटे' उद्योग निवेश नीति 2003 के लाभ से वंचित रह गये हैं ऐसी इकाइयों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए ऋण की 50 लाख रुपये की सीमा को 10 लाख रुपये एवं भूमि एवं भवन में निवेश की सीमा 25 लाख रुपये से 10 लाख रुपये किया जाना प्रस्तावित है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

(xi) अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में अर्जित विदेशी मुद्रा के पेटे, केन्द्र सरकार द्वारा उद्यमियों को डी.ई.पी.बी., एस.आई.एल., आर.ई.पी. लाईसेंस इत्यादि की सुविधायें दे रखी है। राज्य सरकार ने इनके व्यवहार पर 2 प्रतिशत बिक्री कर लगा रखा है। प्रदेश से निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए कि डी.ई.पी.बी., एस.आई.एल., आर.ई.पी. लाईसेंस इत्यादि को कर से मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

(xii) कालीन उद्योग में कई बुनकर नियोजित हैं। हस्त निर्मित कालीन प्रमुख रूप से निर्यात हेतु उत्पादित किये जा रहे हैं। उद्योग और श्रमिकों के हित को देखते हुए हस्त निर्मित कालीनों पर आरोपित केन्द्रीय बिक्री कर समाप्त किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त कालीन उद्योग में करारोपण के बिन्दु को लेकर चली आ रही भ्रान्तियों को दूर करने के लिए आदेश जारी किये जा रहे हैं।

रूग्ण इकाईयों का पुनर्जीवन

178. रूग्ण इकाइयों का पुनर्जीवित किये जाने से पूर्व में निवेश की गई राशि का सदुपयोग एवं रोजगार सृजन में सहायता मिलेगी। इन इकाइयों के पुनर्जीवन हेतु निम्न दो योजनाऐं प्रस्तावित है :-

1. यदि स्वयं उद्यमी द्वारा रूग्ण इकाई को पुनर्जीवित किया जाता है तो ऐसी रूग्ण इकाई को निम्म सुविधायें प्रदत्त की जायेंगी :-

(i) पूर्व के बिक्री कर एवं बिजली बिल के बकाया दायित्वों को 6 अर्द्ध वार्षिक किश्तों में भुगतान किया जा सकेगा।

(ii) पूर्व के बिक्री कर एवं बिजली बिल के बकाया दायित्वों पर प्रभारित ब्याज एवं शास्ति माफ की जायेगी।

(iii) 'क्लोजर पीरियड' के बिजली के मिनिमम चार्जेज माफ किये जायेंगे।

(iv) निवेश नीति 2003 के अनुसार पॉच प्रतिशत ब्याज अनुदान देय होगा एवं

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

(v) विद्युत शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट सात वर्षों के लिए दी जायेगी।

2. 1 अप्रैल, 2004 से पूर्व घोषित रूग्ण इकाई को किसी व्यवसायी द्वारा रीको, आर.एफ.सी. अथवा वित्तीय संस्था से क्रय करके पुनर्जीवित किये जाने की स्थिति में ऐसी रूग्ण इकाई को निम्न सुविधाऐं प्रदत्त की जायेंगी।

(i) निवेश नीति 2003 के अनुसार ब्याज अनुदान पांच प्रतिशत देय होगा।

(ii) विद्युत शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट सात वर्षों के लिए दी जायेगी।

अधिकतम खुदरा मूल्य पर विक्रय कर

179. 'स्टेन्डर्ड आफ वेट्स एण्ड मेजर्स एक्ट, 1976' एवं इसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार कुछ वस्तुओं का विक्रय "पैकेज" स्थिति में ही किया जा सकता है एवं इन पर खुदरा मूल्य (मेक्सिमम रिटेल प्राइस MRP) आदि का अंकन भी अनिवार्य है। वर्तमान में राज्य में अधिकांश वस्तुओं पर प्रथम बिन्दु पर बिक्री कर वसूल किया जा रहा है जबकि उपभोक्ता को अंकित खुदरा (MRP) पर ही इन वस्तुओं का विक्रय होता है इस व्यवस्था में राज्य को उपभोक्ता से लिए जाने वाले मूल्य पर बिक्री कर प्राप्त नहीं हो रहा है। केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम के अधीन भी खुदरा मुल्य (MRP) पर शुल्क वसूल करने की व्यवस्था प्रभावी है। अतः खुदरा मूल्य (MRP) पर कर लगाने के लिए वित्त विधेयक के जरिए राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 में संशोधन प्रस्तावित किया जा रहा है तथा कुछ चिह्नित वस्तुओं पर यह व्यवस्था प्रभावी की जा रही है। नई व्यवस्था से प्रथम बिन्दु का डीलर खुदरा मूल्य (MRP) पर कर चुकायेगा। इससे उपभोक्ता द्वारा चुकाई गई पूर्ण कीमत पर कर की आमद राजकोष में सम्भव हो सकेगी।

180. सरचार्ज एवं टर्नओवर टैक्स हटाने, प्रवेश कर के सुसंगितकरण करने तथा कृषकों, गृहणियों एवं उद्योगों को करों में व्यापक छूट दिये जाने से विक्रय कर की आय में कमी स्म्भावित है। मुझे आशा है कि बिक्री कर विभाग बेहतर वसूली एवं करापवंचन को रोकर कर इसी कमी को पूरा करेगा। अंतः वाणिज्य कर विभाग के वर्ष 2004-2005 के लक्ष्यों को कम नहीं किया जा रहा है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

पंजीयन एवं मुद्रांक

181. राज्य में पंजीयन एवं मुद्रांक व्यवस्था को सरल, त्वरित और पारदर्शी बनाने हेतु मेरे निम्न प्रस्ताव हैं :-

(i) जनता को राहत देने एवं राज्य में सम्पत्ति के पंजीयन को बढ़ावा देने की दृष्टि से अचल सम्पत्ति के विक्रय, दान विनियम, 20 वर्ष से अधिक की लीज, लीज ट्रांसफर आदि पर स्टाम्प शुल्क जो वर्तमान में सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर 11 प्रतिशत की दर से लिया जा रहा है को घटा कर 8 प्रतिशत करना प्रस्तावित हैं।

(ii) इसी प्रकार तीन या तीन से अधिक मंजिल के भवन में एक मंजिल या फ्लैट क्रय करने के लिये निष्पादित किये जाने वाले दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क की वर्तमान 11 प्रतिशत की दर को घटाकर प्रथम हस्तांतरण अर्थात बिल्डर या मालिक से क्रय करने पर 8 प्रतिशत तथा 5 वर्षो की अवधि में होने वाले पश्चातवर्ती हस्तांतरण की स्थिति में प्रथम हस्तांतरण पर 5 प्रतिशत, द्वितीय पर 4 प्रतिशत, तृतीय और उसके बाद के हस्तांतरण पर 3 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क लिया जाना प्रस्तावित है। इससे जनता को राहत मिलेगी व करापवंचन पर अंकुश लगेगा।

(iii) राज्य में वाहन विक्रय प्रमाण-पत्र पर 0.5 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क प्रभावी है। जनता को राहत पहुंचाने की दृष्टि से, वाहन विक्रय प्रमाण-पत्रों को स्टाम्प शुल्क से पूर्णतः मुक्त करना प्रस्तावित है।

(iv) किसी भी महिला सम्बन्धि के पक्ष में दान-पत्र निष्पादित करने की स्थिति में स्टाम्प शुल्क में रियायत उपलब्ध हैं। अब पुरूष सम्बन्धियों अर्थात सगे भाई, पुत्र पौत्र, पिता अथवा पति के पक्ष में दान-पत्र निष्पादित करने की स्थिति में भी स्टाम्प शुल्क की दर को बाजार दर के 11 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना प्रस्तावित हैं।

(v) राज्य में अचल सम्पत्ति का क्रय-विक्रय ''पावर ऑफ अटार्नी'' एवं ''विक्रय इकरारनामों के माध्यम से बड़ी संख्या में हो रहा है जिसके परिणामस्वरूप राजस्व का नुकसान होता है। पूर्व सरकार द्वारा राजस्व हानि पर

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

अंकुश लगाने के लिये विक्रय इकरारनामों पर 3 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क लगाया गया था। इससे आंशिक रूप से करापवंचन रूका पर अब बड़ी संख्या में "पावर आफ अटार्नी" के माध्यम से अचल सम्पत्ति का क्रय-विक्रय होने लगा है। अंतः इस प्रवृति पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से "पॉवर आफ अटार्नी" (ब्लड रिलेशन के अलावा) पर सम्पत्ति की मार्केट वेल्यू पर 2 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। इस सम्बन्ध में राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 में संशोधन का प्रस्ताव राजस्थान वित्त विधेयक 2004 में शामिल किया गया है। इस प्रकार का प्रावधान मध्यप्रदेश, आन्ध्रप्रदेश एवं अन्य कई राज्यों में भी विद्यमान हैं।

(vi) राज्य में प्रदूषण नियंत्रण गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिये औद्योगिक संस्थाओं एवं संगठनों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण गतिविधियों तथा अपशिष्ट निस्तारण हेतु डम्पयार्ड एवं सी.ई.टी.पी. निर्माण के लिए भूमि क्रय को स्टाम्प शुल्क से पूर्णतः मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

(vii) आम जनता को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से मैं ऋण की अभिस्वीकृति और प्रति उद्वरण दस्तावेजों को स्टाम्प शुल्क से पूर्णतया मुक्त करने का प्रस्ताव करती हूं।

(viii) राज्य में विचाराधीन स्टाम्प प्रकरणों के निस्तारण तथा बकाया राजस्व वसूली के लिये एक अमनेस्टी योजना लागू किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना से जहां एकस और जनता को राजस्व की बकाया राशि जमा कराने के लिये प्रोत्साहित किया जा सकेगा वहीं दूसरी और इससे राज्य सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी एवं काफी समय से लम्बित प्रकरणों का निस्तारण होगा।

182. मुझे विश्वास है कि स्टाम्प शुल्क कम किये जाने का राज्य की जनता द्वारा व्यापक रूप से स्वागत किया जायेंगा। स्टाम्प शुल्क की दरें कम किये जाने से राजस्व आय में कमी होने की सम्भावना है परन्तु मेरा यह मानना है कि इन दरों में कमी के कारण जनता में सम्पत्ति हस्तानान्तरण इत्यादि के पंजीयन कराने को प्रोत्साहन मिलेगा जिससे पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने वाले दस्तावेजो की संख्या बढेगी तथा सरकार को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

होगा। मुझे आशा है कि शेष राजस्व की पूर्ति विभाग प्रभावी वसूली एवं करापवंचन को रोक कर पूरी कर लेगा। अंतः पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के वर्ष 2004-05 के आय के लक्ष्यों को कम नहीं किया जा रहा है।

भूमि एवं भवन कर

183. सरकार द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2003 से भूमि एवं भवन कर को समाप्त कर दिया गया लेकिन इसके पेटे वर्तमान में लगभग 94 करोड़ रुपये की पूर्व की बकाया राशि की वसूली शेष है। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में ऐसे प्रकरण भी शेष हैं जिनका कर निर्धारण कतिपय कारणों से नहीं किया जा सका है। इन लम्बित प्रकरणों में हजारों शहरी नागरिक फंसे हुये हैं। इनको राहत प्रदान करने हेतु निम्न दो योजनायें प्रस्तावित है :-

1. ऐसी सम्पत्तियां जिनका कर निर्धारण किया जा चुका है:-

(i) ऐसे समस्त आवासीय एवं औद्योगिक उपयोग की भूमि एवं भवन जिनका दिनांक 1 अप्रैल, 2002 से पूर्व का वार्षिक कर दायित्व दस हजार रुपये से अधिक नहीं था, के समस्त कर दायित्वों का भूतलक्षी प्रभाव से परिहार किया जाना प्रस्तावित है। यदि वार्षिक कर दायित्व दस हजार रुपये से अधिक है तो दिनांक 31 दिसम्बर, 2004 तक मूल कर का 50 प्रतिशत जमा कराये जाने पर शेष कर एवं समस्त ब्याज शास्ति को माफ किया जाना प्रस्तावित है।

(ii) ऐसे समस्त वाणिज्यिक एवं अर्द्ध वाणिज्यिक उपयोग में लिये जा रहे भूमि एवं भवन जिनका दिनांक 1 अप्रैल, 2002 से पूर्व का वार्षिक दायित्व पांच हजार रुपये से अधिक नहीं था, के समस्त कर दायित्वों का भूतलक्षी प्रभाव से परिहार किया जाना प्रस्तावित है। यदि वार्षिक कर दायित्व पांच हजार रुपये से अधिक है तो दिनांक 31 दिसम्बर, 2004 तक मूल कर का 50 प्रतिशत जमा कराये जाने पर शेष कर एवं समस्त ब्याज व शास्ति को माफ किया जाना प्रस्तावित है।

ऐसी सम्पत्तियां जिनका कर निर्धारण नहीं किया जा सका है :-

(i) 700 वर्ग गज के क्षेत्रफल तक की आवासीय, 150 वर्ग गज क्षेत्रफल तक की वाणिज्यिक एवं अर्द्ध वाणिज्यिक सम्पत्तियां जिनका कर निर्धारण नहीं किया जा सका है के समस्त कर दायित्वों का भूतलक्षी प्रभाव से परिहार किया जाना प्रस्तावित है। इससे अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में दिनांक 31 दिसम्बर, 2004 तक मूल कर का 50 प्रतिशत जमा कराये जाने पर शेष कर एवं समस्त ब्याज शास्ति को माफ किया जाना प्रस्तावित है।

(ii) औद्योगिक उपयोग में आने वाले भूमि एवं भवन के समस्त कर दायित्वों को भूतलक्षी प्रभाव से परिहार किया जाना प्रस्तावित है। इससे उद्योगों को भारी राहत मिलेगी ।

विद्युत शुल्क

184. वर्तमान में औद्योगिक इकाइयों द्वारा विद्युत वितरण कम्पनियों से प्राप्त की जा रही सप्लाई पर 40 पैसे प्रति युनिट विद्युत शुल्क देय है। ऐसी औद्योगिक इकाइयां जो स्वयं द्वारा उत्पादित ऊर्जा का उपभोग कर रही हैं उन पर वर्तमान में विद्युत शुल्क देय नहीं है। इस कारण वितरण कम्पनियों से सप्लाई प्राप्त करने वाली इकाइयां प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाती है। 125 के.वी.ए. व अधिक क्षमता के केप्टिव पावर जनरेशन सेट्स द्वारा उत्पादित विद्युत पर 25 पैसे प्रति युनिट विद्युत शुल्क लगाया प्रस्तावित है। इससे इस वित्तीय वर्ष के शेष भाग में लगभग 36 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है। इस राशि को बिजली वितरण कम्पनियों को सबवेन्ट किया जायेगा ताकि वे केन्द्रीय कम्पनियों द्वारा कोयले तथा डीजल की मूल्य वृद्धि के कारण होने वाले अतिरिक्त व्यय भार की आंशिक पूर्ति कर सकें।

विलासिता कर

185. राज्य में पर्यटन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से होटलों पर वर्तमान में प्रभावी विलासिता कर की दर को 10 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

186. सामान्यतः आम चुनाव के बाद प्रस्तुत प्रथम बजट में जनता पर कर का अतिरिक्त भार डाला जाता है। माननीय सदस्यों ने यह अवश्य महसूस

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

किया होगा कि मैंने इस प्रक्रिया को नहीं अपनाया है। जहां एक ओर विभिन्न करों को समाप्त करके एक सरल एवं सुसंगत कर व्यवस्था देने का प्रयास किया है, वहीं दूसरी ओर मैंने कर की दरों को बढ़ाने के बजाय वाणिज्यिक एवं व्यापारिक गतिविधियों के बढ़ने के फलस्वरूप राजस्व में होने वाली वृद्धि को अपना लक्ष्य रखा है। कर प्रस्तावों के माध्यम से नये उद्योगों को प्रोत्साहन एवं बन्द पड़ी इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिये भी प्रभावी कदम उठाये गये हैं। मुझे विश्वास है कि इन प्रस्तावों से नये उद्यम जुटेंगे, पुरानी बन्द पड़ी इकाइयां पुनर्जीवित होंगी तथा ट्रेड डाइवर्जन रूकेगा। इससे रोजगार बढ़ेगा और राज्य में व्यापारिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों के बढ़ने से राज्य के आर्थिक उन्नयन का पथ प्रशस्त होगा।

परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान 2004-05

187. वर्ष 2004-05 के लिये परिवर्तित आय-व्ययक अनुमानों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :-

1.	राजस्व प्राप्तियां	17 हजार 384 करोड़ 7 लाख रुपये
2.	राजस्व व्यय	19 हजार 588 करोड़ 24 लाख रुपये
3.	राजस्व घाटा	2 हजार 204 करोड़ 17 लाख रुपये
4.	पूंजी खाते में प्राप्तियां	18 हजार 932 करोड़ 96 लाख रुपये
5.	पूंजी खाते में व्यय	17 हजार 63 करोड़ 18 लाख रुपये
6.	पूंजी खाते में आधिक्य	1 हजार 869 करोड़ 78 लाख रुपये
7.	बजटीय घाटा	334 करोड़ 39 लाख रुपये

राजस्व घाटा

188. वर्ष 2004-05 के मूल अनुमानों में 3 हजार 103 करोड़ 3 लाख रुपये के राजस्व घाटे की तुलना में परिवर्तित बजट अनुमानों में राजस्व घाटा 2 हजार 204 करोड़ 17 लाख रुपये रहने का अनुमान है। इस प्रकार राजस्व

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

घाटे में 898 करोड़ 86 लाख रुपये का सुधार अपेक्षित है। चालू वर्ष में राज्य का राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 1.97 प्रतिशत अनुमानित है जबकि पिछले वर्ष के नवीनतम अनुमानों के अनुसार यह अनुपात 3.46 प्रतिशत रहा है। इस प्रकार राजस्व घाटे के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में चालू वर्ष में 1.49 का सुधार होना अनुमानित है।

समग्र बजटीय स्थिति

189. वर्ष 2004-05 के मूल अनुमानों में एक हजार 394 करोड़ 48 लाख रुपये का बजटीय घाटा अनुमानित किया गया था। अत: परिवर्तित बजट अनुमानों के अनुसार बजटीय घाटा 334 करोड़ 39 लाख रुपये अनुमानित है। हमारा प्रयास होगा कि बेहतर वित्तीय प्रबन्धन एवं राजस्व वसूली में वृद्धि कर इस घाटे को और भी कम कर सकें।

190. मुझे विश्वास है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत यह बजट राज्य के सभी वर्गों विशेषकर किसानों, पिछड़े वर्गों व महिलाओं के विकास का माध्यम बने [illegible], इससे विभिन्न क्षेत्रों में नियोजन में वृद्धि होगी। मैं माननीय सदस्[illegible] यह विश्वास दिलाना चाहती हूं कि हमारा लक्ष्य राज्य को विकास एवं खुशहाली के मार्ग पर आगे ले जाना है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए मैं सभी माननीय सदस्यों को सहयोग के लिए आमंत्रित करती हूं। और अन्त में मेरे बजट भाषण का समापन एक शेर के साथ करना चाहती हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सुन लो कल्लाजी। ये शेर कल्लाजी को समर्पित है।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : सदन से निवेदन है कि मुलाहिजा फरमाइये, ''आंधियों से कह दो जरा औकात में रहें, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं।'' इन्हीं भावनाओं के साथ मैं वर्ष 2004-05 के परिवर्तित बजट अनुमान सदन के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करती हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2004 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान वित्त विधेयक, 2004 को पुरः स्थापित करती हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 13 जुलाई, 2004 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदन्तर सदन की बैठक 13.21 बजे मंगलवार, 13 जुलाई, 2004 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)